हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 नवम्बर, 1996

खंड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

LIBRARY

मंगलवार 19 नवम्बर, 1996

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)16
स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करना	(2)18
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2)20
वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)21
वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)23
बिल्ज-	
(i) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 (पुनर्विचार के लिए राज्यपाल से वापस यथाप्राप्त)	(2)25
(ii) दि पंजाब शौप्स एंड कमर्शियल एस्टैबिलशमैंटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996	(2)27
(iii) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996	(2)35
वाक आऊट	(2)46
दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(2)47
दि पंजाब शौप्स एंड कमर्शियल एस्टैबिलशमैंटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(2)48
(iv) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996	(2)49
वाक आउटस	(2)53
दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(2)54

मूल्य :

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 19 नवम्बर, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of over Bridge in Kurukshetra

*** 124. Shri Ashok Kumar** : Will the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bridge or to widen the present over bridge in Kurukshetra ?

Home Minister (Shri Mani Ram Godara) : No Sir.

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान है इसलिए वहां पर लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। इस समय वहां पर जो ओवर ब्रिज है वह बहुत तंग है जिसके कारण वहां पर रोजाना एक्सीडैंटस होते हैं। पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां पर गए थे तो उस समय उस ओवर ब्रिज के बारे में लोग इनसे मिले थे। उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस पुल को बनवाएंगे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक वहां पर नया ओवर ब्रिज नहीं बनाया जाता या उस ओवर ब्रिज को वाइडन नहीं किया जाता क्या तब तक उस ओवर ब्रिज के नीचे जो सड़क है उसको खोला जाएगा ताकि उस सड़क पर छोटे-छोटे वाहन आ जा सकें। क्या उस ओवर ब्रिज के नीचे के रास्ते को खोलने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो बात कही है वह ठीक बात है। वहां पर ओवर ब्रिज की जरूरत है लेकिन जिस वक्त, इस समय जो ओवर ब्रिज है उसको बनाया गया था तो यह उस वक्त जरुरत के मुताबिक और जो फण्ड्ज अवेलेबल थे उसके हिसाब से बनाया गया था। पहले नया ओवर ब्रिज बनाने का एस्टिमेट साढ़े चार करोड़ रुपए का था आज वह एस्टिमेट बढ़ कर साढ़े 6 करोड़ रुपए हो गया है। स्पीकर साहब मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब भी फण्ड्ज अवेलेबल होंगे वहां पर ओवर ब्रिज बना देंगे।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र में जो ओवर ब्रिज बनाया हुआ है उसके नीचे जो सड़क है जब तक वहां पर दूसरा ओवर ब्रिज नहीं बनाया जाता उस वक्त तक उसको खोल दिया जाए ताकि उस सड़क पर छोटे-छोटे वाहन आ जा सकें। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि जहां पर ओवर ब्रिज बना हो उसके 600 से 800 फुट तक रास्ता नहीं खोल सकते क्योंकि उसके नीचे रेलवे क्रोसिंग होता है। यह बात ठीक है कि इस समय कुरुक्षेत्र में जो ओवर ब्रिज है वह बहुत तंग है इसलिए उसको चौड़ा करने की जरूरत उसी वक्त थी जिस वक्त यह बनाया गया था। इस समय जो वहां पर ओवर ब्रिज है वह चौड़ा नहीं किया जा सकता अब तो वहां पर नया ही दूसरा ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा और वह भी 6 लेन या 8 लेन का बनाना पड़ेगा ताकि उस पर 10 या 15 लाख यात्री आ जा सकें। जब भी सरकार के पास फण्ड्ज अवेलेबल होंगे इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सोनीपत से लेकर अम्बाला तक कहीं पर नया ओवर ब्रिज बनाने की सरकार की कोई प्रोपोजल है।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, ऐसी कोई प्रोपोजल विचाराधीन नहीं है।

Draining out the Rainy Water

***155 Dr. Virender Pal Ahlawat** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that rainy water is accumulated in Dighal, Gangtan, Lakria, Seria, Gochhi, Dujana, Dhaur, Bhagatpuri, Beri, Bhagpur, Mangawas, Dharana, Bishan, wazirpur, Khatiwas, Mohamadpur Majra, Jahajgarh, Palra, Paharipur and Achhaj villages of Jhajjar Sub Division;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to drain out the water from the above said villages ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) & (b) Yes, Sir. Rain water in about 6400 acres area of these villages had accumlated most of which has since been dewatered by providing inlets, relief cuts in drains, deployment of pumps. Now only about 550 acres are yet to be cleared which will also be done by November 30, 1996.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसके कारण बेरी हल्के का बहुत बुरा हाल था। उस बाढ़ के कारण बेरी हल्के की खरीफ और रबी की दोनों फसलें बर्बाद हो गई थीं। इस साल नार्मल बरसात थी अगर वह नहीं होती तो वहां पर एक किस्म से अकाल की स्थिति हो जाती और फसलें ठीक नहीं हो पाती। इस साल फिर बाढ़ आई जिसके कारण वहां के किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई। बेरी हल्के के पांच, छः गांव ऐसे हैं जिनके खेतों में आज भी बाढ़ का पानी खड़ा है। वे गांव हैं खातीवास, मोहम्मदपुर भाजरा, शेरिया, बेरी, गोच्छी और डीघल।

इन गांवों के खेतों में आज भी पानी खड़ा है सरकार वहां पर थोड़ा बहुत पैसा दे देती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि हर बार बाढ़ आ जाती है। मैं चाहता हूं कि इस पानी की निकासी का कोई परमानैंट समाधान किया जाये जिससे लोगों को राहत मिल सके। किसान अपना महंगा बीज बोता है लेकिन सारी फसल पानी आने से बरबाद हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां का पानी निकालने के बारे में कोई परमानैंट समाधान करने के लिए कोई योजना बनायेगी ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर टोटल 550 एकड़ में पानी खड़ा है। यह सारा पानी 30-11-96 तक निकाल दिया जायेगा। जहां तक परमानैंट समाधान करने की बात है, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम सारी स्टेट के पानी को निकालने के बारे में एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे है ताकि इसका परमानैंट समाधान किया जा सके।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये 9 सितम्बर को रोहतक गए थे क्योंकि ये ग्रिवेंसिज कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उस वक्त मैंने, डॉ० बीरेन्द्र पाल जी ने और दूसरे कई लोगों ने मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मेरे हल्के के

अन्दर रिटोली गांव में जो कि बेरी हल्के के साथ लगता है बाढ़ का पानी अब भी खड़ा है बल्कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी, उसका पानी भी निकल नहीं पाया था। सरकार के नोटिस में लाने के बाद भी इस तरफ सरकार कोई तव्जोह नहीं दे रही। इसी प्रकार से मेरे हल्के के ईस्माईला गांव में भी बाहरी बस्ती में पानी खड़ा है। इसी प्रकार से कलावहड़ गांव में जो स्कूल है उसकी चार दीवारी के अन्दर पानी खड़ा है। जबकि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे रहें हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह सारा पानी कब तक निकाल दिया जायेगा। वहां की ड्रेनों की सफाई भी नहीं हुई जिस कारण वहां पर बाढ़ आई। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस समस्या का कोई परमानैंट समाधान किया जायेगा?

श्री बंसी लाल : जहां तक इस्माइला के स्कूल में पानी का सवाल है, मेरा ख्याल है कि उसके साथ जोहड़ लगता है। और जोहड़ में तो पानी खड़ा ही होगा। कलावहड़ गांव में मैं भी गया हूं। मुझे तो वहां की बस्ती में पानी नजर नहीं आया। परमानैंट समाधान के लिए मैंने बताया है कि हम एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि पूरी स्टेट की पानी की समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट क्वैश्चन।

डॉ बीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर साहब मेरा सवाल है। मैंने एक सप्लीमेंटरी पूछी है। कृपया मुझे एक सप्लीमेंटरी और पूछने दें।

श्री धीर पाल सिंह : एक मैम्बर जिसका सवाल हो वह दो सप्लीमेंटरी पूछ सकता है।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंटरी पूछी जा सकती है।

श्री धीरपाल सिंह : आप एक सप्लीमेंटरी को कह रहे हैं तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं।

Mr. Speaker : It depends upon the nature of the question.

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, सवाल कर्ता मैम्बर को सप्लीमेंटरी पूछने का हक है। पार्लियामैंट में प्रथा है कि सवाल कर्ता सदस्य को दो सप्लीमेंटरीज करने दी जायें। आपने अगला सवाल कह दिया।

Mr. Speaker : You are no body to guide me. Please take your seat.

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

Body-building of Haryana Roadways Buses

***152. Shri Som Vir Singh** : Will the Minister for Transport be pleased to state the number of bodies of buses of Haryana Roadways got fabricated from the private firms/agencies other than HRTC, Gurgaon during the period from June, 1987 to April, 1996.

Transport Minister (Shri Narain Singh) : 1103.

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गुड़गांव के अन्दर जो बसें हैं उनकी बाडीज़ कहां से बनवाई गई हैं और उन पर कितना खर्च आया है। जो बसें हरियाणा रोडवेज़ द्वारा अपने वर्कशाप में बनाई गई हैं उन पर कितना खर्चा आया है और जो बसें प्राईवेट बॉडी बिल्डर्ज़ से बनवाई गई हैं उन पर कितना खर्चा आया है। इस मामले में जिन अधिकारियों की गलती है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और अगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या कोई कार्यवाही उन अधिकारीयों के खिलाफ करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रति दिन करीब 6 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं (विघ्न) वर्ष 1990 में 12 डिलक्स बसों की बॉडी बनवाई गई थी। इन बसों पर करीब 2 लाख रुपये प्रति बस के हिसाब से लागत आई थी। 240 बसें हरियाणा रोडवेज की वर्कशाप में बनाई गई थीं। इन बसों के निर्माण की कीमत प्रति बस 1 लाख 80 हजार रुपये के करीब आई है। जो एक्सप्रैस बसों की बॉडी बनवाई गई हैं उन पर 2 लाख 70 हजार रुपये प्रति बस की दर से खर्च आया है। 1987-88 में गुड़गांव में 143 बसों की बॉडी बनवाई थी। इन बसों की बॉडी लकड़ी की थी। वर्ष 1990-91 में 390 बसों की बॉडी तथा वर्ष 1991-92 में 275 बसों की बॉडी बनवाई गई थी। इन बसों की बॉडी स्टील की बनवाई गई थी। कुल मिला कर 289 एक्सप्रैस बसों तथा 245 साधारण बसों की बॉडी बनवाई गई थीं।

Loss due to felling of trees

***143. Shri Sat Pal Sangwan**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that cutting/theft of trees has been carried out in the State Forest adjacent to the border of U.P., H.P. and Punjab during the period from January 1991 todate; if so, the steps taken or proposed to be taken to check the said practice ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : जी, हां। यद्यपि अन्य प्रजातियों के वृक्षों की कटाई के केस भी सामने आये हैं, मुख्य रूप से खैर प्रजाति के वृक्षों की अवैध कटाई सन्दर्भित क्षेत्र में होती है। यह अवैध कटाई अधिकतर मोरनी-पिंजौर तथा यमुनानगर वन मण्डलों में हुई है।

अवैध कटाई को रोकने के लिए उठाए गये कदमों तथा भविष्य में प्रस्तावित कदमों का विवरण सदन के पटल पर अनुबन्ध में प्रस्तुत है।

विवरण

(क) उठाए गए कदम :-

1. जिस अमले के बारे में यह संदेह था कि वह अवैध कटाई में संलिप्त है, को इस क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और अन्य अमले का स्थानान्तरण विचाराधीन है।
2. अवैध कटाई के मामले में राजीनामा करने के लिए वसूल की जाने वाली राशि को चार गुणा कर दिया गया है।
3. अवैध कटाई को पकड़ने के लिए कलेसर तथा रायपुर रानी रेंजों की विस्तृत छानबीन की गई है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरु की जा चुकी है। दो वन मण्डल अधिकारी, दो वन राजिक अधिकारी, चार वन खण्ड अधिकारी तथा ग्यारह वन रक्षकों को निलम्बित किया जा चुका है।
4. वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है तथा नाकाबंदी को मज़बूत कर दिया गया है।

(ख) प्रस्तावित कदम :-

1. निजी भूमि से खैर के वृक्षों के परिपक्व होने से पहले उनकी कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। लेकिन परिपक्व वृक्ष काटने की अनुमति दी जाएगी परंतु भविष्य में खैर के वृक्ष केवल हरियाणा वन विकास निगम द्वारा खरीदे तथा काटे जाएंगे।

2. अवैध कटाई को रोकने के लिए सूचना देने वाले लोगों को ईनाम देने के लिए फण्ड स्थापित किया जाएगा।

3. कत्था फैक्ट्रियों में अवैध लकड़ी के प्रयोग को रोकने के लिए फैक्ट्रियों में आने वाले खैर तथा उसके इस्तेमाल पर निगरानी रखी जाएगी।

4. इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके अन्य सख्त कदम उठाए जाएंगे।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि खैर के वृक्षों की कटाई के जो मामले हुए हैं वह पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं, क्या इस मामले में कोई चोर पकड़ा गया है अथवा क्या पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक साथी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। पिछली सरकार जो चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी उस वक्त हम वन विभाग के मामले में तरह-तरह के सवाल उठाते थे और उस वक्त जो अधिकारी पेड़ों को कटाते थे उनको बचाया जाता था। अब हमारी सरकार के आते ही हमने अधिकारियों से वृक्षों की कटाई की जांच करवाई और उसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया गया उसके खिलाफ जांच करवाई है और कुछ को सस्पैंड भी किया है। इसके अलावा आगे भी जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये जो अधिकारी सस्पैंड हुए हैं ये बड़े अधिकारी थे या इनमें कोई छोटे अधिकारी भी थे ? इसके अलावा पेड़ों की कटाई में क्या कोई पोलिटीकल लोग भी इन्वालव्ड थे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछली सरकार के वक्त जो पेड़ों की कटाई हुई थी उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। लेकिन बिना राजनैतिक लोगों के संरक्षण से यह काम नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो अधिकारी इसमें इन्वालव्ड हैं उनके नाम आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं और जांच पूरी होने पर जो भी अधिकारी या कोई दूसरा पेड़ काटने में इन्वालव्ड होगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री खुरशीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह विभागीय कार्यवाही कितने दिनों तक चलेगी और क्या यह मामला कोर्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे, अगर ये करेंगे तो कितना टाईम लगेगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : हम इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही ही नहीं करेंगे बल्कि जितने पेड़ों की कटाई उनके वक्त हुई होगी उतने पेड़ों का पैसा भी उनसे रिक्वर करेंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री जी ने कहा कि इसमें बहुत से अधिकारी इन्वालव्ड थे छोटे मुलाजिम भी सस्पैंड करे हैं। क्या मंत्री जी की नौलेज में यह है कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर मण्डी में रात को ट्रैक्टरों की ट्रालीज में आई फारेस्ट की लकड़ी बेची जाती है। आप चाहें तो यह चैक कर सकते हैं क्या इस प्रकार की शिकायतें आपके पास आई हैं अगर आई हैं तो कितनी आई हैं और आपने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के टाईम में पेड़ लगवाने की बजाए पेड़ों को कटवाने का काम होता था। इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। अगर माननीय साथी के पास ऐसी कोई खबर है कि अब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वे हमारे नोटिस में लाएं, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1991 के बाद खैर प्रजाती के पेड़ों की कटाई बहुत हुई। इन्होंने मंत्री बनने के बाद ऐक्शन लिया और अधिकारियों को सस्पैंड भी किया। तो यह जो पेडों की कटाई हुई वे कितने कटे हैं और जो कटें हैं उनकी कितनी कीमत है। इस बारे में बताएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो खैर प्रजाति का यह वृक्ष है इसकी बाजार के अंदर बड़ी भारी कीमत मिलती है और इस वृक्ष का उपयोग कत्था एवं दूसरी दवाईयों के बनाने में किया जाता है। इस वृक्ष की जो गैर कानूनी तरीके से कटाई होती रही है वह मोरनी, पिंजौर एवं यमुनानगर का इलाका है। जहां तक इन्होंने कहा की ये वृक्ष कितने कटे तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो इस बारे में विभाग के नोटिस में आया है वह 3500 वृक्षों के बारे में आया है। इसके अलावा हमने जो जांच करवाई है उसके अनुसार करीब सवा नौ सौ वृक्ष खैर के काटे जा चुके हैं और बाकी जांच अभी विचाराधीन है जैसे ही यह जांच पूरी हो जाएगी, हम आपको बता देंगे। इसके अलावा जहां तक इन वृक्षों की कीमत का सवाल है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इनकी कीमत जो तय की जाती है वह विभाग की तरफ से प्रोथ के हिसाब से तय होती है। इसमें यह देखना होता है कि पेड़ की लम्बाई या चौड़ाई कितनी है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो वे अलग से सवाल दे दें, हम इनको बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि जो आज हरियाणा में लकड़ियां चोरी हो रही हैं तो हरियाणा सरकार या आपका डिपार्टमैंट हिमाचल प्रदेश की नीति अपनाकर चलना चाहता है ताकि यह चोरी रोकी जा सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता संभालते ही जब यह वन विभाग की समस्या आयी तो सबसे पहले उन्होंने यह आदेश दिया था कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काटकर ले जाती हैं तो वहां पर उन गाड़ियों को कंफिसकेट कर लिया जाता है तो उसी तरीके से हरियाणा में ऐसा ही आदेश उन्होंने दिया था। हरियाणा में पहले ऐसा कानून नहीं था। हम भी जल्दी ही हिमाचल प्रदेश की तरह का कानून हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं।

Percentage of Women Literacy in the State

***161. Smt. Krishna Gahlawat** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the percentage of women literacy in the State during the years 1966, 1971, 1981 and 1991 separately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to launch a special compaign to promote women literacy in the State ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) राज्य में 1961, 1971, 1981 व 1991 में महिला साक्षरता दर क्रमशः 9.2 प्रतिशत, 14.89 प्रतिशत, 22.3 प्रतिशत और 40.47 प्रतिशत थी।

(ख) राज्य के 16 जिलों में साक्षरता परियोजनायें आरम्भ की गई हैं जिनमें महिला साक्षरता पर बल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब यह साक्षरता का प्रतिशत बढ़े इसके लिए हमारी सरकार हर जिले में डी०सी० की चेयरमैनशिप में साक्षरता परियोजनाएं चला रही है और इस बार इस अभियान को हम और तेज करने जा रहे हैं।

Construction of Bye-Pass at Safidon

***160. Shri Ram Phal Kundu** : Will the Minister for Home be placed to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye-Pass at Safidon; if so, the time by which the same is likely to be constructed/completed ?

Home Minister (Shri Mani Ram Godara) : Sir, at present there is no proposal to construct a Bye-Pass at Safidon. However, the proposal may be considered in the next financial year subject to availability of funds.

श्री रामफल कुन्डु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सफीदों शहर में एक ही रास्ता बाजार के बीचोंबीच है जिसके अंदर से बसें एंव ट्रक आते जाते हैं जिसकी वजह से वहां काफी ट्रैफिक हो जाता है और वहां बार बार ऐक्सीडैंट होते रहते हैं, तो मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वे इस बाई पास को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाता हूं कि जो मेरे पास सारी डिटेल्ज हैं उसके अंदर यही है कि अगले साल हमारे पास फंड होगा तो हम इसको जरुर कंसीडर करेंगे।

श्री राम फल कुन्डु : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से एक अनुरोध और करूंगा कि एक साल के अंदर सरकार ने पिल्लूखेड़ा से भम्भेवा तक 20 लाख रुपये खर्च रिपेयर पर दिखाया है जबकि वहां एक पैच तक नहीं लगाया गया है और इसी तरह से 20 लाख रुपये से हाट, बागड़ू, सरकावा सफीदों में एक खड्डा भी नहीं भरा गया है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस सप्लीमैंट्री का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप बैठ जाएं।

Selling of sub-standard Fertilisers, Seeds and Pesticides.

***149. Shri Attar Singh Saini** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state the number of cases, if any, registered against the dealers/firms in respect of selling of sub-standard seeds, fertilisers and pesticides in the State during the period from June, 1991 to May, 1996, together with the details thereof alongwith the action taken against them ?

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : A Statement is laid on the Table of the House.

[Shri Karan Singh Dalal]

STATEMENT

	Number of cases registered with the local police & Judicial Magistrates from June, 91 to May, 96	Number of cases decided	Number of cases pending
1. Fertilisers	128	—	128
2. Seeds	9	—	9
3. Pesticides	702	197	505

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय, यह विवरण देने का कष्ट करेंगे कि कितने अपराधियों को सजा हुई और कितने बरी हुए और अब तक जितने केसिज़ पैंडिंग हैं वह किस स्टेज पर हैं और उनका फैसला कब तक होने की उम्मीद है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि कितने मामले लम्बित हैं और कितने ऐसे हैं जिनमें अदालतों का फैसला हो चुका है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खाद में लम्बित केसिज 128 हैं और 128 ही दर्ज हैं। बीज के भी इसी तरीके से 9 दर्ज हुए और 9 ही लम्बित हैं। कीटनाशक दवाईयों के 702 केसिज दर्ज हुए जिनमें से 197 का फैसला हो चुका है और 505 केसों का फैसला होना बाकी है।

श्री अतर सिंह सैनी : जो फैसला हो चुका है उनमें से कितनों को सजा हुई और कितने बरी हुए ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 15 तारीख को ही इस सवाल का नोटिस हमारे विभाग को मिला है और बाकायदा उनके पूरे नाम बताने के लिए समय का अभाव था फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पिछली सरकार के समय में एक बीज के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ था और सदन में कई माननीय सदस्यों ने बार-बार शोर मचाया था कि लिबर्टी बीज कम्पनी के नाम से हरियाणा के किसानों के साथ फरेब हुआ था। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सत्ता संभालते ही किसानों की हमदर्दी में सबसे पहला काम किया कि लिबर्टी सीड कम्पनी के मालिक व जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाए और पेस्टीसाईड्स का इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया है जिसमें कोर्ट की तरफ से कोई सजा हुई हो।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नकली फर्टिलाइजर और सीड व पेस्टीसाइड्स बेचने की घटनाएं मिलती हैं और यह किसानों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन लोगों को जब तक कानूनी तौर से सजा दी जाए तब तक इनके बीज और पेस्टीसाइड्स के लाईसेंस रद्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, खाद और बीज का जो अधिनियम है। यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट का ऐक्ट है इनमें हमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट के ऐक्ट के मुताबिक ही कार्यवाही करनी पड़ती है। जिनके जो सैम्पल फेल होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की मान्यताएँ मानी गई हैं कि किसी सैम्पल का नतीजा यदि शून्य मिलता है तो उसके लाईसैंस को हम सस्पैंड कर सकते हैं और पिछले दिनों ऐसे किए भी हैं।

10.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदय, क्या आप बतायेंगे कि खाद और पैस्टीसाईड के लिए आपने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि इनके बारे में समय-समय पर जांच हो सके कि यह किसानों को ठीक तरीके से दी जा रही है या नहीं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जब से यह सरकार हरियाणा में बनी है तब से पिछले छः महीनों में इतने सैम्पल लिए हैं जितने कि पिछली सरकार ने एक साल के अन्दर सैम्पल लिए थे। अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले में पूरी तरह सचेत हैं। हमारे जिलों में जितने भी लोग डी०डी०ए० हैं वे समय-समय पर सैम्पल भरते रहते हैं और खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं कि किसानों को ठीक तरह से दी जाये।

Vacant posts of J.B.T. Teachers

*163. Smt. Kartar Devi : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the total number of posts of J.B.T. teachers, if any lying vacant at present;

(b) the number of posts out of those as reffered to in Part (a) above, belonging to reserved categories;

(c) the time by which the above said vacant posts are likely to be filled up ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : इस समय राज्य में जे०बी०टी० अध्यापकों के 40215 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3144 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों में से 1350 पद अनुसूचित जाति, 77 पद भूतपूर्व सैनिक तथा 543 पद पिछड़ी जाति के आरक्षित हैं।

इन सभी रिक्तियों को भरने हेतु अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल हरियाणा द्वारा दिनांक 7-11-96 को विज्ञापन दिया जा चुका है। इसी दौरान में इन रिक्तियों को, जब तक बोर्ड से चयनित उम्मीदवार नहीं आते तब तक 89 दिनों के लिए अनुबन्ध के आधार पर भरने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

स्पीकर सर, इस महीने की आखिरी तारीख तक हरियाणा का कोई बच्चा बिना अध्यापक के नहीं रहेगा उसमें चाहे जे०बी०टी० हो और चाहे लैक्चरर हो, कोई भी पद खाली नहीं रहेगा।

श्रीमती कर्तार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जो पिछले साल एस०एस०एस० बोर्ड ने एक सूची बी०ए० बी०एड० अध्यापकों की जारी की थी और कहा था कि उनको जे०बी०टी० के अगेंस्ट लगाया जाये, उस लिस्ट का क्या हुआ और यह सरकार बार-बार कन्ट्रैक्ट बेसिज पर लैक्चरर को लगाने के लिए कह रही है उस के सिलैक्शन का क्या आधार है ?

श्री रामविलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय बहन जी ने बड़ा ही मौलिक सवाल किया है। पिछली सरकार ने एस०एस०एस० बोर्ड के माध्यम से बी०एड० अध्यापकों को जे०बी०टी० के अगेंस्ट भर्ती करने के लिए विज्ञापन निकाला था और सिलैक्शन की थी परन्तु उस लिस्ट के खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये। आप जानते हैं कि पिछली सरकार ने इस सिलैक्शन में कितनी अनियमितताएं बरती थीं। इसका उदाहरण हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के केस से मिल जाता है कि हाई कोर्ट ने कहा कि

[श्री रामविलास शर्मा]

एच०सी०एस० का सिलैक्शन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बजाए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाए because Haryana Public Service Commission is not competent for this. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य एक दूसरे पर किस तरह हाई कोर्ट में गए थे, सब यह जानते हैं। (विघ्न) बहन जी मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : करतार देवी जी आप बैठिए।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय बहन जी ने बड़ा मौलिक सवाल किया है और मैं उनको तसल्ली बक्श उत्तर दूंगा

श्री अध्यक्ष : आप मौलिकता के आधार पर ही जवाब दीजिए।

राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि एच०सी०एस० का सिलैक्शन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से करवाया जाये। पिछली सरकार ने किस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के इस्तीफे लिए थे यह सारा सदन जानता है। भजन लाल जी अपने घर बुलाकर सदस्यों से इस्तीफे लेते रहे हैं। पिछली सरकार ने जितनी पोस्टों के विज्ञापन निकाले उनसे कहीं ज्यादा पदों की भर्ती की गई और इनमें कितनी अनियमितताएं बर्ती यह हम सब जानते हैं। हमने तो उसके बाद एक विज्ञापन द्वारा यह निकाला था कि जितने पद विज्ञापन द्वारा विज्ञापित किए थे उससे ज्यादा जितने कैंडिडेट सूचि में हैं, उनको रद्द समझा जाए। हमने तो सारा काम विधि विधान से किया है। चौ० बंसी लाल जी कानून और कायदे की बात करते हैं। ये एक-एक मामले को देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने पहले राशेलाइज करवाया कि गांव के स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं। 45 बच्चों के उपर एक जे०बी०टी० टीचर के पद का सृजन किया गया है और उसी हिसाब से बच्चों की संख्या तथा स्कूलों के अनुपात के आधार पर हमने बाकायदा विज्ञापन के माध्यम से ये पद भरने का प्रयास किया है। जैसे कि बहिन जी ने 89 दिन के लिए कंट्रैक्ट बेसिज पर लगाने की बात कही है, इस बारे में स्पीकर सर, मैं बताना चाहता हूं कि कितना भी आर्थिक संकट चौ० बंसी लाल जी की सरकार में रहे लेकिन मैं उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इतने घोर आर्थिक संकट के होते हुए भी शिक्षा जैसे काम के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए कि बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ न हो सके, जब तक रेगुलर अध्यापकों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक 89 दिन के लिए कंट्रैक्ट बेसिज पर विज्ञापन के माध्यम से हमने इन पदों को भरने का प्रयास किया है। हमने प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग, कॉलिज काडर के लिये अलग और हाई स्कूलों के लिए अलग बाकायदा कमेटी बनाई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाकायदा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इन अध्यापकों की भी भर्ती करवाएंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट ही लूंगा। शर्मा जी ने पूरा राजनीतिक भाषण हाऊस के अन्दर दे दिया और पिछली सरकार की चर्चा की।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सप्लीमैंटरी प्रश्न ही पूछें, भाषण न दें।

भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने जवाब में पिछली सरकार की बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जो मैंने कहा वह कुछ भी राजनीतिक नहीं है। यह तो सारा प्रदेश जानता है, सभी सदस्य जानते हैं कि पिछली बार कमीशन के मैंबर्ज के साथ क्या हुआ ? यह सारा प्रांत जानता है।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो कह रही हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। करतार देवी जी आप कई बार एम०एल०ए० रह चुकी हैं। मन्त्री रह चुकी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। सप्लीमैंटरी के लिए समय आपको हम दे देते हैं लेकिन थोड़ा तरीका तो इसके लिए होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त मैं शिक्षा मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि पिछली सरकार ने बी०एड० अध्यापक जे०बी०टी० अध्यापकों की जगह लगा दिए थे। क्या यह कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना नहीं थी क्योंकि मैं भी शिक्षा से संबंधित हूं तथा मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। पिछली सरकार ने यह कहकर उनको भर्ती कर लिया कि जिस दिन से कोई आदमी बी०एड० कर लेता है। It becomes the duty of the Government that उसी तारीख से उसको बी०एड० का ग्रेड दिया जाएगा। क्या यह अनियमितता नहीं हुई और अगर हुई थी तो आपकी सरकार उसको कैसे दूर करने जा रही है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सभी तो शिक्षा के मामले में कुछ पूछना नहीं चाहते बल्कि इनका तो मकसद ही दूसरा है (विघ्न) स्पीकर सर, आपने सही फरमाया है कि पिछली सरकार ने बी०एड० अध्यापकों की भर्ती जे०बी०टी० अध्यापकों के विरुद्ध की थी और वह बाकायदा अनियमितता थी। माननीय हाई कोर्ट ने उस पर एक फैसला दिया कि जितने स्थान विज्ञापन में दर्शाए गये थे उतने स्थानों को छोड़कर बाकी लिस्ट को रद्द कर दिया जाए। वह सारी भर्ती पिछली सरकार की है। उस समय जो अध्यापक लग गए हम उनको उनकी योग्यता के अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने बताया कि जे०बी०टी० की 40215 पोस्टें सैंक्शंड हैं। अगर इन आंकड़ों को सही मान कर जे०बी०टी० टीचर का जो कोर्स है उनकी सीटों का निर्धारण किया जाए तो यह स्टेज कभी नहीं आती जो पिछली बार आई थी। पिछली बार जे०बी०टी० कैंडीडेटस कम थे इसलिए उनकी पोस्टों के अगेंस्ट बी०एड० टीचर्ज को लगाया गया और जिनके पास दूसरी डिग्रीज थी उनको लगाया गया। वे लोग नौकरियों की तलाश में घूम रहे थे इसलिए उन्होंने जे०बी०टी० की पोस्टों के अगेंस्ट लगना कबूल कर लिया क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। आज के दिन जहां आपने टॉट एंड टीचर्ज का रैशनेलाइजेशन किया है क्या यह भी रैशनेलाइजेशन किया है कि जे०बी०टी० के जो ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट हैं उनकी सीटें उसी मात्रा में निर्धारित की हैं या नहीं की हैं अगर नहीं की हैं तो क्या वजह है ? जो०बी०टी० टीचर्ज का जो स्टफ आ रहा है उनका जो स्टैन्डर्ड है उनका जो सिलैक्शन का तरीका है, उनको जो ट्रेनिंग देने का तरीका है, उसमें सुधार की अवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जे०बी०टी० टीचर्ज की पूरी स्ट्रैंथ को देखते हुए मेरा अपना ख्याल है, कि कम से कम 2500 जे०बी०टी० टीचर्ज हर साल रिटायर होंगे तो, क्या उसी मात्रा में जे०बी०टी० टीचर्ज की ट्रेनिंग के लिए कंडीडेटस को दाखिला दिलाने का प्रावधान करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहले हरियाणा में 2100 जे०बी०टी० और ओ०टी० टीचर प्रशिक्षण प्राप्त करते थे हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संख्या को बढ़ा कर साढ़े तीन हजार किया है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब में बताया है कि इस समय राज्य में जे०बी०टी० अध्यापकों के 40215 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3144 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों में से 1350 पद अनुसूचित जाति, 77 पद भूतपूर्व सैनिक तथा 543 पद पिछड़ी जाति के आरक्षित हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने 89 डेज पर जितने टीचर लगाए हैं क्या उनकी सिलैक्शन करते समय रिजर्वेशन का कोटा पूरा किया गया है यानि क्या रिजर्वेशन के हिसाब से उन कैटेगरीज को भर्ती किया गया है ? रिजर्वेशन कोटे में जो पिछला शार्टफाल है क्या उसको भी पूरा किया जाएगा ? दूसरा मेरा सवाल है कि जिस समय जे०बी०टी० टीचर्ज को ट्रेनिंग देने के लिए दाखिल किया जाता है क्या उस समय रिजर्व कोटे के हिसाब से दाखिला दिया जाता है ? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर जे०बी०टी० टीचर्ज की ट्रेनिंग के लिए जिस समय कैंडीडेटस को दाखिला दिया जाता है अगर उस समय रिजर्व कोटे को पूरा कर दिया जाए तो यह शार्टफाल नहीं रहेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में कोई भी स्थान चाहे वह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, चाहे वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए रिजर्व है और चाहे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है उस स्थान पर वही व्यक्ति लगेगा जिसके लिए वह रिजर्व है। पिछले समय में जो ले दे कर भर्ती की जाती थी ऐसा हम नहीं करेंगे। मैं सदन को आश्वाशन देना चाहूंगा कि यदि पहली बार एडवटाईज करने पर रिजर्व केटेगिरी का कैंडीडेट नहीं मिलता है तो हम उसको दोबारा एडवटाईज करेंगे। यदि कोई पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है तो उसी जाति का आदमी उस पोस्ट पर लगाएंगे।

Damage caused due to floods

*2. **Capt. Ajay Singh Yadav** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total loss of property in terms of rupees, if any, caused to the houses, tubewells, crops and animals in districts Rewari, Gurgaon and Mohindergarh due to recent floods in the month of June-July, 1996; and

(b) whether any compensation has been given to the affected persons in the above said districts; if so, the details thereof ?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरजपाल सिंह) :

(क) तथा (ख) हाल ही में वर्ष 1996 की बाढ़ के कारण मकानों, नलकूपों फसलों तथा पशुओं के नुकसान का जायजा लेने के लिये विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद मुआवजा दिया जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ को आए हुए आज 5 महीने हो गए हैं। हमारे इलाके में बाढ़ आने का कारण यह है कि मसानी बैराज में शटर के न लगने से यह बाढ़ आई। इस वजह से मेरे इलाके में बटाना, हसनपुर व 15-20 दूसरे गांवों में बाढ़ आई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय एक बार भी इन गांवों में गए, जहां पर पानी खड़ा था ? दूसरे मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकान गिर गए हैं ट्यूबवैल्ज धस गए हैं, पशु मर गए हैं या दूसरा नुकसान फसलों आदि का हो गया है, उनको मुआवजा देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया है ? क्या सरकार ने पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर खराबा हुआ है वहां पर खराबा न दिखाया जाये। मंत्री महोदय इन सभी बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त बाढ़ आई थी उस वक्त मैं खुद उन गांवों में गया था बल्कि सदस्य साथी ने उन गांवों का तो नाम नहीं लिया जिनमें बहुत अधिक बाढ़ आई थी। उस वक्त हम नावों के जरिये लोगों के पास गांवों में गए थे। साहबी नदी में 1987 के बाद पानी नहीं आया था। अबकी बार आया था, उसको निकालने का हमने पहले ही प्रबंध कर दिया था। नाजू कलां में, जो साहबी नदी के साथ पड़ता है, पानी काफी आया था। जहां तक जिन गांवों में बाढ़ आई थी उनके लिए हमने राहत सामग्री भिजवाई। जहां तक राहत का सवाल है इसके लिए गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने दरें निर्धारित की हुई हैं उसके अनुसार उनको मुआवजा दिया जायेगा। मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गुड़गावां के 233, रिवाड़ी के 37, फरीदाबाद के 14, महेन्द्रगढ़ के 29, रोहतक के 25, कैथल के 9 यानी टोटल 347 गांवों में बाढ़ आई थी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि जिन लोगों के मकानात गिर गए हैं, ट्यूबवैल्ज धंस गए हैं या फसल बर्बाद हो गई है उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा ? मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी सरकार ने जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी उनको 3 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था इसी प्रकार से जिन लोगों के मकान गिर गये थे उनको दस हजार रुपये दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से मुआवजे देने के लिए कोई मापदण्ड सरकार ने निर्धारित किए हैं। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पटवारियों को यह निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की फसलें खराब हो गई हैं उनके अन्दर खराबा न दिखाया जाये। साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के जिन 20-25 गांवों में बाढ़ आई थी, क्या उनमें ये किसी एक गांव में भी गए थे ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाढ़ग्रस्त गांवों में जाने का सवाल है, उस बारे में बताना चाहूंगा कि इन गांवों में मैं स्वयं 3 बार गया और एक बार स्वयं जब मुख्य मंत्री गए थे तो इनके साथ गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी साहबी नदी का दौरा किया था। जहां तक इन्होंने पूछा कि जिन लोगों के मकान आदि गिर गए हैं या फसल खराब हो गई है उनको मुआवजा कितना दिया गया। इस के लिए भारत सरकार ने पहले दरें निर्धारित की हुई हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति का पक्का मकान गिर जाता है तो उसको 10 हजार रुपये, कच्चे मकान के लिए 5 हजार रुपये और इसी प्रकार से मवेशियों आदि के लिए निर्धारित किया हुआ है। इसी प्रकार से जो जानी नुकसान होता है उसको भी मुआवजा दिया जाता है। यह पैसा हमने डी०सीज० को दे दिया है। सर्वे जारी है। जहां यह काम अभी अधूरा है, उसको भी जल्दी पूरा कर दिया जायेगा।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही प्रशंसनीय जानकारी यहां हाऊस में दी है। उसी जानकारी के तहत मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि रोहतक जिले में बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या केवल 25 दर्शायी गई है। उनके पास बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के आंकड़े भी होंगे। मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें कि बाढ़ से प्रभावित 25 गांव कौन-कौन से हैं, कितनी फसल नष्ट हुई है, कितने जानवर मरे हैं और आबादी को कितना नुकसान हुआ है ?

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि रोहतक जिले में बाढ़ से कुल 25 गांव अफैक्टिड हुए हैं, 42 हजार एकड़ जमीन बाढ़ के पानी से अफैक्टिड हुई है और कुछ ही फसल मारी गई है। वहां पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई मवेशी ही बाढ़ के कारण मरा है।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

कैप्टन अजय सिंह यादव :अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, * * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * *

श्री अध्यक्ष : जो कुछ मेरी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाए। कैप्टन साहब, आपका हल्का मेरे हल्के के मेरे नेटिव विलेज के साथ लगता है मुझे वहां की जावकारी है, आप अपनी सीट पर बैठें (शोर एवं व्यावधान)

Loan for setting up of small scale Industries in the State.

***11 Shri Ram Pal Majra** : Will the Minister of Finance be pleased to state-

(a) whether any applications for loan for setting up of small scale industries in the State are lying pending with the Khadi & Village Industries Board at present; and

(b) if so, the dates since when the above said applications are laying pending together with the time by which the loan, as reffered to in para (A) above, is likely to be given to the applicants ?

वित्त मंत्री (श्री सिरी किशन दास) :

(क) 305 प्रार्थना-पत्र जुलाई, 1994 से लम्बित हैं।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद ऋण वितरित किया जाएगा।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, वर्ष 1995-96 में 18 करोड़ रुपये का बजट लैप्स हुआ और किसी भी उद्योग को लोन नहीं दिया गया। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह लोन क्यों नहीं दिया गया, क्या इसका कारण यह तो नहीं रहा कि गवर्नमैंट गारन्टी नहीं दी गई। इसके साथ ही मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि क्या वर्ष 1996-97 के लिए गवर्नमैंट गारन्टी दे दी गई है ?

सेठ सिरी किशन दास : स्पीकर साहब, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि गवर्नमैंट गारन्टी दे दी गई है।

Declaration of Dabwali as Industrially Backward Area

***30 Shri Mani Ram:** Will the Minister of Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to declare Dabwali as Industrially Backward Area; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

वित्त मन्त्री (सेठ सिरी किशन दास) : जिला सिरसा के डबवाली खण्ड को राज्य की औद्योगिक नीति 1992 के अन्तर्गत पहले ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, सिरसा को हरियाणा राज्य औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पहले ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछड़े क्षेत्र को जो सुविधाएं मिलती हैं क्या सिरसा को वह सुविधाएं देनी शुरु कर दी गई हैं ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सेठ सिरी किशन दास : जो सुविधाएं मिलती हैं वे सभी सुविधाएं वहां मिलेंगी।

श्री मनी राम : क्या मंत्री महोदय डिटेल में बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर क्या- क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को जानकारी देना चाहूंगा कि फिक्स कैपिटल इन्वैस्टमैंट को15% की दर से सबसिडी दी जाती है।

---

33 KV Sub-Station At Dharamgarh

***33. Shri Kishan Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of 33KV Sub Station at Dharamgarh in District Panipat is scheduled to be completed ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : The construction of 33KV Sub-Station Dharamgarh is likely to be completed during 1997-98.

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो धर्मगढ़ में 33 के०वी० का सब-स्टेशन बनना है इसका कितना धन सैंक्शन हुआ था, यह कितना बन चुका है और कितना रह गया है तथा कब तक बन जाएगा ?

Shri Bansi Lal : It was sanctioned by the Electricity Board. The work of the sub-station is in progress since 3/96. So far, the following activities have been done :-

(i) Land for the substation stands acquired.

(ii) 70% of Civil works have been carried out. 100% to be completed by 30-11-96.

(iii) Electrical equipment is being collected and its erection would be started in a couple of months after completion of civil works.

(iv) The work would be completed during 1997-98. so far about Rs. 8 lakhs have been spent on civil works. Funds amounting to Rs. 90 lakhs would be required for completing this work during 1997-98.

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के वक्त पिहेवा कांस्टीचुएंसी के मलकपुर गांव में जापान के सहयोग से 132 के०वी० का सब-स्टेशन बनने का प्रावधान था, उसके बारे में हमें मुख्य मंत्री जानकारी दें कि वह कब तक बन जाएगा ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये इस बारे में अलग से प्रश्न पूछ लें तो हम इसका जवाब दे देंगे।

Construction of a Minor

***54. Shri Nafe Singh Rathee** : Will the Chief Minister be plased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a minor which off take from Gurgaon Water Service Canal for providing drinking water to Bahadurgarh City; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Yes Sir. The work is likely to be completed by June, 1998.

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह बताएं कि बहादुरगढ़ वाटर सप्लाई कैनाल की कितनी क्षमता है, क्या इसको बनाने के लिए जून, 1996 में गुड़गांवां के कार्यकारी इंजीनियर द्वारा टैण्डर मांगे गए थे। अगर मांगे गए थे तो यह काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ और कब तक शुरु हो जाएगा। इसके साथ यह भी बताएं की इसकी लागत क्या है ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो बहादुरगढ़ वाटर सप्लाई की स्कीम है, यह नैशनल कैपिटल रीजन में आती है। 1991 की सैंसिज़ के मुताबिक बहादुरगढ़ की आबादी 56,484 है। इस वक्त बहादुरगढ़ को वाटर सप्लाई नहर के पानी से दी जाती है। लेकिन आज जो वहां पर नहर चलती है वह महीने में आठ दिन चलती है जिससे शहर को पानी की दिक्कत रहती है। वहां पर इस समय 86 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है। यह जो 180 लीटर प्रति व्यक्ति वाटर सप्लाई की स्कीम बनेगी यह 346 लाख 35 हजार रुपये की बनेगी। इसके लिए रुपया हुड्डा ने दे दिया है। 28 एकड़ जमीन इरीगेशन डिपार्टमैंट की अपनी है जो उन्होंने मुफ्त दी है। उसकी कास्ट इसमें शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1997-98 में यह काम शुरु हो जाएगा।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि यह जो गुड़गांव कैनाल है इसके रास्ते में बादली हल्के के कुछ गांव आते हैं वहां पर डीप ट्यूब्वैल्ज लगाए गए थे अब उनका पानी खारा हो गया है। जैसी व्यवस्था बहादुरगढ़ में की है, क्या उसी तरह से यहां पर भी जहां पर खारा पानी हो गया है पीने का पानी गुड़गांव कैनाल से देने की व्यवस्था करेंगे ? ये सिर्फ पांच ही गांव हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर पानी की ज्यादा कैपेसिटी होगी तो जरूर देंगे अगर नहीं होगी तो नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of Relief

***43. Shri Birender Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any scheme with the Haryana State Agricultural Marketing Board to compensate the family members/next kin of those farmers who die on account of snake bite/ electrocution; if so, the details thereof ?

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : There is no scheme to compensate the family members/next kin of those farmers who die on account of snake bite. If death occur due to electrocution while carrying out agricultural operation the family members/next of kin is given Rs. 50,000/- as compensation by the Market Committee concerned.

Vacant Posts of Teachers

***64. Shri Narender Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state the number of posts of teachers lying vacant in the schools in District

Mahendergarh; together with the time by which these posts are likely to be filled up ?

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : At present, 441 posts of teachers are lying vacant in Govt. Schools of Mahendergarh district. Efforts are being made to fill up these vacant posts urgently.

Construction of New Roads

***75. Shri Ramesh Kumar** : Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following new roads in district Sonepat:–

(1) Chhichhrana to Kathura;

(2) Rana-Kheri to Bagru;

(3) Siwana Mall to Bagru;

(4) Banwasa to Chhapra;

(5) Matand to Chhataira;

(6) Busana to Badothi etc.

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : क्रमांक 4 पर बनबासा से छपरा सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है। हम बाकी की सड़कों के निर्माण बारे भी विचार कर रहें हैं एवं धन के प्रबन्ध बारे प्रयत्न कर रहे हैं तथा जैसे ही धन उपलब्ध होता है इन सड़कों के निर्माण के लिए बजट में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

Shortage of Doctors in P.H.C. Shamlo Kalan

***45. Shri Sat Narain Lather** : Will the Minister for Health be plased to state—

(a) whether it is a fact that there is a shortage of Doctors and other staff in P.H.C. Shamlo Kalan and C.H.C., Julana at present ; and

(b) if so, the time by which the adequate staff is likely to be posted in the above referred P.H.C./ C.H.C. ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० कमला वर्मा) :

(क) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामलोंकलां एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुलाना में इस समय चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अमले की कोई कमी नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

Ottu Bridge

***81. Shri Bhagi Ram** : Will the Minister for Home be plased to state —

(a) whether the Ottu Bridge on the Ghagger River in District Sirsa has been declared unsafe; and

[Shri Bhagi Ram]

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bridge on the river as reffered to in part (a) above ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) :

(क) घग्गर नदी पर सिरसा-ओटू-रानियां सड़क क्रासिंग पर बना पुल कमजोर पुल घोषित किया गया है।

(ख) इस पुल के पुनः निर्माण का प्रस्ताव है।

Construction of Canals

***88. Shri Ramji Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new canal from Tajewala Head Works to Raipur Rani; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : जी नहीं।

Closing of Deep Tubewells

***132. Shri Jaswinder Singh Sandhu** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to close the deep tubewells installed on Narwana Branch; and

(b) if so, the time by which the tubewells as referred to in part (a) above, are likely to be closed ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) नहीं,

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करना

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक स्थगन प्रस्ताव गन्ने के मामले को लेकर है कि हरियाणा के किसानों में गन्ने को लेकर बहुत असन्तोष है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इनको कंट्रोल करिए। हरियाणा प्रदेश में गन्ना एक ऐसी क्राप है जिसे किसान आज की बाढ़ की परिस्थितियों में एक अच्छी फसल मानता है क्योंकि इस फसल का बाढ़ से बचाव हो जाता है। यही फसल एक ऐसी फसल है जिससे किसान का हरियाणा में गुजारा होता है। लेकिन सरकार के पास किसानों के गन्ने का बकाया 14 महीनों से पड़ा हुआ है जिसका अभी तक भी भुगतान नहीं किया जा सका है और अब फिर गन्ने की पिराई शुरु हो चुकी है लेकिन किसान आज इस पोजीशन में है कि उसे पता ही नहीं कि उसे आज गन्ने का क्या भाव मिलेगा या उसे उसके पिछले गन्ने का पैसा वापस मिलेगा या नहीं या आज उसका गन्ना खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा या उसको पिछले पैसे पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए स्पीकर सर, यह एक बहुत ही अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिए। वैसे तो यह मसला काफी हद तक कल डिसकस हो गया था लेकिन चूंकि लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने ऐडजर्नमैंट मोशन दी है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपका यह ऐडजर्नमैंट मोशन बनता ही नहीं है क्योंकि न तो यह रिसेन्ट अकरैन्स का मामला है और न ही कोई डैफिनिट पौलिसी की बात है। हमने फिर भी इस मामले की महत्वता देखते हुए इसे कल के लिए कालिंग अटेंशन मोशन के रूप में ऐडमिट कर लिया है और एडजर्न मोशन को कालिंग अटैंशन मोशन में बदल दिया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय आने से पहले मैं आपके नोटिस में यह मामला लाना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत ही अहम मसला है। कल भी यहां पर हाउस को गुमराह किया गया था। कल मंत्री जी ने यह बताया था कि सरकार किसानों को ब्याज नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : कल के लिए आपका कालिंग अंटेशन मोशन ऐडमिट कर लिया गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारा तो स्थगन प्रस्ताव है इसलिए आप इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही ऐडमिट करें।

श्री अध्यक्ष : यह ऐडजर्नमैंट मोशन के रूप में ऐडमिट नहीं किया जा सकता।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम मसला है इसलिए इसको आप कल के बजाए आज ही ऐडमिट करें ताकि किसानों को भी पता चले कि सरकार उनके गन्ने के बारे में क्या सोच रही है। क्या उनका गन्ना खरीदा जाएगा या नहीं या उनको पुरानी प्रथा के मुताबिक ब्याज मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह ऐडजर्नमैंट मोशन में ऐडमिट नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कल के लिए आपका कालिंग अंटेशन मोशन ऐडमिट हो गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप इसको आज ऐडमिट करें या कल करें लेकिन हमारा यह ऐडजर्नमैंट मोशन बनता है।

श्री अध्यक्ष : कल भी इस मसले पर डिसकशन हो गयी थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं तो आप में कल और आज में काफी अंतर महसूस कर रहा हूं। कल तो आप बहुत लचीले दिखाई दे रहे थे लेकिन आज आप बदले हुए दिखाई दे रहे है * * * *

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने चेयर पर एसपर्शन कास्ट किया है * * * * यह इनके जमाने में रिवायत थी। हमने तो आपसे कल भी कुछ नहीं कहा जब आपने इनका ऐडजर्नमैंट मोशन ऐडमिट किया था। कल भी आपने लीडर ऑफ दी अपोजीशन पर ही छोड़ दिया था कि ये क्या चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये इन चीजों से बाज आएं और इनके ये शब्द एक्सपंज किये जाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। चौटाला साहब, आप भी बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मुझे चिन्ता है कि आप स्लिंग दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपके निर्णय से पहले अनुरोध तो कर सकता हूं । (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी मैम्बर्ज और खास तौर से लीडर ऑफ दि अपोजीशन से दरखास्त करता हूं कि ठीक ढंग से नियमानुसार चलें। कल आपकी जो बात थी हमने वह सारी की सारी बात मान ली थी लेकिन आज जो आपका मसला है वह ऐडजर्नमैंट मोशन के अंतर्गत आता ही नहीं है क्योंकि न तो

* अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

यह रिसेंट अकौरेन्स का है और न ही कोई डैफिनिट पालिसी की बात है। वैसे आता तो काल अटैंशन मोशन में भी नहीं है फिर भी हमने कल के लिए आपका काल अटैंशन मोशन मंजूर कर लिया है। please take your seat now.

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर सर, कल विपक्ष के नेता ने व दूसरे विपक्ष के साथियों ने गन्ने के विषय में बड़े विस्तृत रूप में चर्चा की थी और हमारे माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया। कल आपने बड़ी उदारता के साथ इन्हें समय भी दिया। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमें भी अपनी बात कहने का हक है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाइए और धीर पाल सिंह जी आप भी बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) जहां तक लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने ऐडजर्नमैंट मोशन दिया है वह बनता ही नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि ये कहते हैं कि यह बड़ा अहम मुद्दा है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कल के लिए इसे काल अटैंशन मोशन के रूप में मंजूर कर लिया है। Now the matter comes to an end.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैंने भी गन्ने के मुद्दे पर काल अटैंशन मोशन दिया हुआ है।

Mr. Speaker : Your calling attention motion is under consideration.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा काल अटैंशन मोशन है कि रिवाड़ी जिले के अंदर लिकर माफिया बहुत चल रहा है जो साथ लगते राजस्थान और दिल्ली से लिकर की तस्करी करता है। पैसा बजाय सरकार के खजाने में जाने के लोगों की जेब में जा रहा है। पुलिस के पूरे मेल-जोल के साथ यह काम हो रहा है और यहां आपके मंत्री हैं उन्होंने ग्रीवैंसिज कमेटी में माना है उसके बावजूद यह लिकर माफिया अपना काम कर रहा है और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है होम डिलीवरी हो रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिए आपने जितने काल अटैंशन मोशन दिये हैं, उनका फेट मैं आपको बताता हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे सबमीशन तो करने दीजिए। काल अटैंशन के अलावा जो गाय रिवाड़ी से मेवात एरिया में समग्ल की जा रही हैं और कट रही है उसके बारे में भी मेरा काल अटैंशन मोशन है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप तो मिनिस्टर रहे हैं। दो-तीन बार एम०एल०ए० भी रहे हैं। आपने जो काल अटैंशन मोशन दिये हैं उनका फेट मैं आपको पढ़ कर बताता हूं। Your calling attention notice -

(a) regarding smuggling of liquor from the adjoining States of Rajasthan and Delhi has been sent to the Government for comments.

(b) regarding the disposal of sewerage system in Rewari City has also been sent to the Government for comments.

(c) regarding withdrawal of Local M.L.A. Development Area scheme has been disallowed.

(d) regarding havoc caused due to the floods caused in Rewari District nonfitment of shutters on Masani Barrage, has been disallowed.

(e) regarding illegal cow slaughtering in the Mewat region, has been sent to the Government for comments.

(f) regarding recent hike in Electricity rate on the tubewells Bills on the farmers of Rewari, Mohindergarh and some parts of Bhiwani, has been disallowed. Now, the matter ends. (Interruptions)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाये। देखिए कैप्टन अजय सिंह जी आप से मैं यह एक्सपैक्ट नहीं करता कि आप ऐसे बोलेंगे। आप नये सदस्य नहीं हैं, आप तो दो तीन बार चुनकर आ चुके हैं। I request you to observe the rules of the House.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, this is my right to speak.

Mr. Speaker : This is your right but you cannot rule over the right of the others.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके ऑफिस में 3 काल अटैंशन मोशन्ज दी थीं लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं बताया गया कि उनका क्या बना।

श्री अध्यक्ष : ये आपने कब दी थीं ?

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मैंने आपके दफ्तर में 17 तारीख को दी थीं। उसके बाद ये डिसअलाउ हो गई या क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, आप बैठिए। आपकी पहली काल अटैंशन मोशन है regarding protest by the students and citizens in Narwana due to the death of Smt. Neelam Sharma in Private Nursing Home. That has been sent to the Government for comments. Your second call attention motion is regarding not holding the Students Union election in all the four Universities, which has been disallowed.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कॉलिजिज़ की यूनियन्ज़ को यूनिवर्सिटीज़ से सम्बद्ध न करने की वजह से हरियाणा के छात्रों में भारी अनरैस्ट है और यह डैमोक्रेसी का मर्डर है। कृपया इसको रि-कंसीडर करिए। मेरी आपसे प्रार्थना है। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 1990-91 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1990-91 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands over grants on the order paper will be deemed to have been read and

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Mr. Speaker]

moved. The Hon'ble members can discuss any demand on which they wish to raise discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,69,66,140 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs.40,53,010 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Excise & Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,33,96,801 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,19,62,864 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Buildings & Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,65,97,121 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,75,22,163 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 27,10,55,906 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs.8,38,934 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Agriculture.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,71,09,848 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Community Development.

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,69,66,140 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 43,53,010 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Excise & Taxation

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,33,96,801 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,19,62,864 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Buildings & Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,65,97,121 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,75,22,163 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 27,10,55,906 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,38,934 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,71,09,848 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1990-91 in respect of Community Development.

The motion was carried.

वर्ष 1991-92 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1991-92 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands over grants on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand on which they wish to raise discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 67,70,221 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Home.

[Mr. Speaker]

That a grant of a sum not exceeding Rs. 34,37,490 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Excise & Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,65,36,868 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs.7,76,13,075 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Buildings & Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs.17,43,250 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 18,14,81,348 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 21,77,568 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,42,25,513 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Community Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,76,082 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Co-operation.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs.67,70,221 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 34,37,490 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Excise & Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,65,36,868 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Finance.

The motion was carried.

Vidhan Sabha LIBRARY Chandigarh

That a grant of a sum not exceeding Rs.7,76,13,075 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Buildings & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 17,43,250 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs.18,14,81,348 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 21,77,568 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs.1,42,25,513 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Community Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,76,082 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1991-92 in respect of Co-operation.

The motion was carried.

विल्ज -

(i) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (हरियाणा अमैंडमैंट) विल, 1989 (पुनर्विचार के लिये राज्यपाल से वापस यथाप्राप्त)

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will move the motion for reconsideration of Indian Electricity (Haryana amendment) Bill, 1989 (as received back from the Governor for its reconsideration).

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move —

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 15th March, 1989, be reconsidered in the light of the observation contained in the direction, dated the 11th October, 1995,

[Shri Bansi Lal]

from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 24th February, 1996, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill, by substituting the words "forty percent", for the words "fifty percent".

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 15th March, 1989, be reconsidered in the light of the observations contained in the direction, dated the 11th October, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 24th February, 1996, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill, by substituting the words "forty percent", for the words "fifty percent".

Shri Birender Singh (Uchana Kalan) : Mr. Speaker, Sir, at least the Chief Minister should explain as to why the Bill was sent back to the Vidhan Sabha for its reconsideration.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह बिल पास किया था कि जो आदमी बिजली के बिल के अगेंस्ट अपील में जाएगा यदि वह पहले बिल का 50 परसैंट पैसा भर देगा तो उसकी अपील सुनी जाएगी लेकिन अब आदरणीय राष्ट्रपति जी की यह औब्जर्वेशन आई है कि यह 50 परसैंट की बजाय 40 परसैंट होना चाहिए।

Mr. Speaker :Question is —

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989 as passed by the Haryana Vidhan Sabha on 15th March, 1989, be reconsidered in the light of the observations contained in the direction, dated the 11th October, 1995, from the President of India, conveyed by the Governor in his message, dated the 24th February, 1996, with a view to suitably amend clause 2 of the Bill, by substituting the words "forty percent", for the words "fifty percent".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clasue by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : The following amendment on clause 2 given notice of by the Chief Minister may be deemed to have been read and moved-

In clause 2 of the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989, in Sub-clause (ii) to the proviso proposed to be added to Sub-section (1) of Section 24 of the Indian Electricity Act, 1910 for the words "fifty percent", the words "forty percent" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is -

In clause 2 of the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989, in Sub-clause (ii) to the proviso proposed to be added to Sub-section (1) of Section 24 of the Indian Electricity Act, 1910 for the words "fifty percent", the words "forty percent" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is -

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill , as amended, be passed.

The motion was carried.

(ii) दि पंजाब शौप्स एंड कमर्शियल ऐस्टैबिलशमैंटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Labour Minister will introduce the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

Cooperation and and Labour Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I introduce the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana amendment) Bill, 1996.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में थोड़ा विवरण हाउस को देना चाहता हूं। हरियाणा के अन्दर जितने भी शापिंग काम्पलैक्स हैं सरकार द्वारा कलैक्ट किये जाने वाले रैवेन्यू के लिये बीच में लेबर इन्सपैक्टर और लेबर ऑफिसर और इतवारिया आदि काफी डिफिकल्टी पैदा करते हैं। लेबर इन्सपैक्टर अथवा इतवारिया आदि वहां जो जाते हैं वह सारी फ्यूटाईल एक्सरसाईज होती है क्योंकि इससे सरकार

[श्री गणेशी लाल]

11.00 बजे को कोई खास रैवेन्यू प्राप्त नहीं होता है इसलिये सरकार ने यह सोचा है कि जो बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्पलैक्स हैं, बड़े-बड़े होटल्ज़ हैं, स्टार होजल्ज़ हैं, पैट्रोल पम्पस आदि हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि ये सब यूनिटस स्ट्रीमलाईन हो जाएं। उनके बारे में चिट्ठी भी दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको पढ़ देता हूं। हमने इसको तीन ढंग से कैटेगराइज़ किया है। Under Category one, Starred hotels, nursing homes, cinema houses, privately managed educational institutions, private colleges, including medical colleges, petrol pumps, companies and financial institutions are covered. These are registered for the first three years. The registration fee is Rs. 10,000 and for the renewal also the fee is Rs. 10,000.

Shri Birender Singh : What is the practice now ?

Shri Ganeshi Lal : Formally this has not been the practice. This practice has just now been introduced this time. Secondly, workshops, automobiles service stations are not covered under the Factories Act. Computer training centre, type institutions, health fitness club, laboratories, restaurants, unstarred hotels, excluding dhabas and halwaies are under second category. Dhabas and halwaies are out of the peripbery of the clause No. 2. Shops and commercial establishments are not covered under the above categories. जिन कॉम्पलैक्सिज़ में कोई ऐम्पलाइज़ काम नहीं करते हैं या जिन कॉम्पलैक्सिज़ में नौकर काम नहीं करते हैं उनको इससे मुक्ति है, उन्हें किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। Sir, Now I also beg to move-

That the Punjab Shops and Commercial establishments (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amandment) Bill be taken into consideration at once.

श्री बलबीर सिंह (मेहम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक जानकारी चाहता हूं। हमारे देश में हिन्दी हमारी मातृभाषा है लेकिन यहां पर तो हाउस का इंग्लैंड बना रखा है जिस कारण कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अत : मेरा अनुरोध है कि जो भी कार्यवाही हो, या बात हो वह हिन्दी में हो तो ठीक रहेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलबीर सिंह जी, बात यह है कि आप हमारे साथ रहे हैं और भिवानी में भी काफी देर रहे हैं तथा मैट्रिक तक पढ़े हुये भी हैं। आप रूल 77 पढ़ सकते हैं। आप रूल 77 देख लें। अगर आप इस बिल पर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। यदि आपने इस बारे में कोई बात नहीं कहनी है तो आप कृपया अपनी सीट पर बैठें।

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर साहब, हमारे आनरेबल साथी श्री बलबीर सिंह इस हाउस के आनरेबल मैम्बर हैं। इनकी बात वैसे तो दुरूस्त है कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कम से कम इतनी बात कहने की तो हिम्मत की है कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। वैसे मेरा विचार है कि इस हाउस में ऐसे ये अकेले मैम्बर नहीं है। इस तरह के कुछ साथी और भी हो सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं रूल्ज़ कमेटी का मैम्बर भी हूं तो इनकी बात को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पर इयर फोन लगाने पड़ेंगे और यहां पर ट्रांसलेटर बिठाने पड़ेंगे जो कि हिन्दी में अनुवाद करें। अगर ऐसा होगा तो इनको भी सब बातों का पता चलेगा।

This is breach of privilege that he is not being given every information which is available in the House. मुख्यमंत्री जी ने ही रूल्ज़ कमेटी बनाई थी।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल्ज़ कमेटी नहीं बनाई बल्कि आपने ही बनाई है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि आपने कहा था कि पार्लियामैंट के रूल्ज़ को यहां पर एडाप्ट करें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस में यह राय दी थी कि लोकसभा के जो रूल्ज़ हैं अपने यहां पर भी उसी पैटर्न लागू करें और आज भी मैं इसी राय का हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं भी यही कह रहा हूं ताकि इनकी प्रोब्लम का निदान हो सके।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी आप बैठें। आनरेबल मैम्बर्ज रूल्ज़ कमेटी बनी हुई है और रूल 77 के हिसाब से यह है कि "Subject to the provisions of Article 210 of the Constitution, the proceedings in the Asssembly shall be conducted in Hindi or in Punjabi or in the English language."

Shri Birender Singh : You have read rule 77 according to which proceedings in the Assembly shall be conducted in Hindi or in Punjabi or in the English language. If my learned friend does not understand Punjabi or English what facility the House can provide to the Hon'ble Member ? For that I am saying that there must be a provision for translation.

श्री अध्यक्ष : आप रूल्ज़ कमेटी के मैम्बर हैं, वह कमेटी जो रिपोर्ट देगी तो उसको मान लेंगे।

Shri Birender Singh : I am saying so, so that this must be brought to the notice of the Chairman of the Committee.

श्री धीरपाल सिंह (बादली) : स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के एक सम्मानित सदस्य ने सुझाव दिया था। हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में जो अंकित है उसकी तरफ इनका ध्यान आकर्षित किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठन है और हमारी मातृ भाषा हिन्दी है। राष्ट्रवादी संगठन की विचारधारा के साथ जोड़ते हुए इनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।

Mr. Speaker : We are not here to consider the manifesto of any party.

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए हमारी तरफ और इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये नहीं समझ रहे हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि इस हाउस में कई बार जब श्री राम विलास शर्मा जी बोलते थे तो उन्होंने भी ऐसे विचार जाहिर किए थे कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा भी और आपका भी हिन्दी के प्रति स्नेह रहा है इसलिए अगर इस बारे में कोई बात कही गई है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमारी पार्टी में हमारे साथी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखते। अगर किसी को आशंका है तो मैं बताना चाहता हूँ कि समता पार्टी में भी पी०एच०डी०, डाक्टर, वकील और अच्छे किसान हैं और काफी पढ़े-लिखे लोग हैं। केवल किसी के इशारे पर कोई विधायक साथी अगर कोई बात कहना चाहेगा तो वह सदन की परम्पराओं के विपरीत महसूस होता है। स्पीकर साहब, हम चेयर का भी और पूरे हाउस का सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात ठीक है और हम इस बारे में पूरा ध्यान रख रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, श्रम मंत्री जी जो यह विधेयक लेकर आये हैं उसमें मुझे आपसे प्रीलिमनरी आबजैक्शन के बारे में सबमिशन करनी है। बेशक यह अमेंडमैंट हो लेकिन मैम्बर्ज को इसकी

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

स्टडी करने का पूरा टाईम जरूर मिलना चाहिए। स्टडी करने के हिसाब से यह अमेंडमैंट हमारे पास नहीं पहुँची है। जब यह हमारे पास सही समय पर ही नहीं पहुंची तो आप सही मानिए फिर हम इस पर पूरी तैयारी के साथ नहीं बोल सकते।

श्री अध्यक्ष : कल तो यह आपके पास पहुंच ही गई होगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : कल भी नहीं पहुंची और अगर कल भी पहुंची तो यह भी सफीशिएन्ट टाईम नहीं है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके सैक्रेटेरिएट के पास समय कम है या गवर्नमैंट आपके नोटिस में बहुत लेट लाती है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक हमारे पास बेयर एक्ट नहीं होगा, जिस एक्ट की आप अमैंडमैंट करना चाहते हैं तो हम फिर पूरी तैयारी के साथ कैसे बोल सकते हैं। इस बिल में जो स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज दिए हुए हैं वे मंत्री जी ने पढ़े हैं तथा जो इन्होंने फिर एलोबोरेट किए हैं कि किस किस ऐस्टेबलिशमैन्ट पर कितनी कितनी फीस लगाएंगे तो इस स्टेटमैंट ऑफ आब्जक्टैस एंड रीजन्ज से हमें पूरा पता नहीं लगता।

My submission to you is that if you are not able to supply the entire bare Act, we must be supplied the statement of objects and reasons with all the details of the intention of the Government as to why this amendment is coming, and that is why I specifically asked the minister to give the details of the amendment and as to why he wants to move the amendment.

Sir in future, I would also request to you that it would be in the fitness of the things that the bare Act is also supplied to us.

दूसरा यह जो बिल है जिसको मंत्री जी ने सदन में रखा है तथा सरकार जो यह प्रवास रिसोर्सिस के मोबलाइजेशन का कर रही है, यह उसकी तरफ एक कदम है। मुझे यह बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि हरियाणा विकास पार्टी एवं बी०जे०पी० की सरकार इन दोनों ने कहा था कि हम स्टेट के अंदर शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी से जो नुकसान होगा उसको हम गवर्नमैंट की मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करके तथा उसमें जो लूप होल्ज हैं, उनको इफैक्टिव तरीके से करके पूरा करेंगे। उनको प्लग करके हम उन रिसोर्सिज को पूरा करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहीं, इसी सदन में जब पिछले सैशन में शपथ ग्रहण समारोह था उसमें कहा था कि मैं सदन की एक कमेटी भी बनाऊंगा जो हमें सुझायेगी कि किस तरीके से हम साधनों को इकट्ठा करके इस घाटे को पूरा कर सकें। मुझे यह बात पता नहीं कि उस कमेटी में कौन थे लेकिन कमेटी बनी थी उस कमेटी में एक तो चीफ सैक्रेटरी, एक फाइनैंस सैक्रेटरी और एक मेरे ख्याल में सैक्रेटरी एक्साइज एण्ड टैक्सेशन या ई०टी०सी० थे। इन तीनों आदमियों की कमेटी बनी और वह तीनों ब्यूरोक्रेट्स थे। सरकार ने दूसरे पक्षों के साथियों या किसी ऐसे आर्गेनाइजेशन जिसको व्यापार मंडल कहा जाए या जिससे इंडस्ट्रीज संबंधित हों या ऐसा कोई संगठन जो इकोनोमिक सर्वे या दूसरे जो उतार-चढ़ाव हैं उनके बारे में जिनको गहन ज्ञान हो उन्हें इसमें शामिल नहीं किया और न ही जन-प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया। उस ब्यूरोक्रेट्स कमेटी की ब्यूरोक्रेटिक ही ऐप्रोच थी और उस कमेटी के अफसरों का यह फैसला हुआ कि इन लूप होल्ज को प्लग करने से कोई रिसोर्सिज जैनरेट होने की उम्मीद नहीं है बैस्ट तरीका यही है कि नये टैक्स लगा दो।

श्री जसवंत सिंह (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। कल मेरे आदरणीय साथी मुख्यमंत्री जी को सुझाव दे रहे थे कि सरकार का कामकाज चलाने में किसी एम०एल०ए० साहिबान की आपको कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुझाव डैमोक्रेटिक पैटर्न में आस्था रखने वाले सदस्य

दें यह इनके लिए शोभा नहीं देता और आज ये कह रहे हैं कि इनको लिया नहीं गया। कल तो कह रहे थे कि इनकी जरूरत नहीं और आज कह रहें हैं कि आफिसर्ज की कमेटी बना दी और इनको लिया नहीं गया। ये बता दें कि ये खुद कहां खड़े हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल के संदर्भ को या तो मैं जसवन्त सिंह जी को समझा नहीं सका या ये समझ नहीं सके।

कल मैंने कहा था कि जब जन-भावनाओं की बात हो तो फैसले जन-भावनाओं के मुताबिक होने चाहिएं। मैंने यह कहा था कि मुझे एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और मैंने लोगों की राय जानकर 65 गांवों का फैसला किया कि ये गांव उस तहसील या सब तहसील में जाने चाहिएं। लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने मेरी 65 में से 64 रिकमैंडेशन उल्टी कर दीं और जब मैंने उन से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी एम०एल०एज० की ख्वाहिश है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। तो जहां जनभावनाएं हों वहां एम०एल०ए० की भावनाओं को इस तरह से प्रैसिडैंस नहीं देना चाहिए वह प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ है।

श्री जसवंत सिंह (नारनौंद) : जो लोगों की जनभावनाएं हैं वह तो एम०एल०ए० के पास हैं।

Shri Birender Singh : You represent the fraction of the total ``Janbhawana". You don't represent the majority of the ``Janbhawana". (Interruption)

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी अब तक आप क्या भूमिका ही बता रहे थे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा था वह उसी का एक हिस्सा है जोकि हम बता रहे थे। हमने जन प्रतिनिधियों की जन-भावनाओं को नकार कर नौकरशाही की मर्जी के हिसाब से नये टैक्सों का प्रावधान किया है। इसमें एक यह भी कर दिया जाये कि जो छोटे-छोटे शहरों और कस्बों में कामर्शियल इस्टैब्लिशमैंटस हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाये। यह रजिस्ट्रेशन किस हद तक ठीक होता है वह यह कि कोई भी आदमी अगर अपने घर में नौकर रखता है तो उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य होना चाहिए। पुलिस को उसके घर-बार का पता अवश्य हो ताकि अगर वह कोई गलत काम करता है या अपराध करता है तो पुलिस उसको तलाशने में जल्दी कामयाब हो सके। ऐसे आदमियों के बारे में इन्फर्मेशन अवश्य होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी क्लासीफिकेशन किया है कि जो खुद अपना काम करेगा उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जो आदमी किसी इम्पलाई को लगायेगा तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसकी फीस दस हजार रुपये होगी। और तीन साल के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर समय पर रिन्यू नहीं हुआ तो तीन हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। यह मैं कहना चाहता हूं कि जो यह रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है यह यहां तक तो ठीक है कि सरकार के पास ऐसे कामों की इंफर्मेशन अवश्य होनी चाहिए जिस तरह शॉप एक्ट में है कि दुकान को समय पर खोलना और समय पर बंद करना। परन्तु ऐसे छोटे-छोटे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करके गुजारा करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जिनकी स्थाई प्रापर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, जमीन नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्लीज कंक्लूड-

श्री बीरेन्द्र सिंह : इन लोगों पर जो चार्ज लगाया है जो फीस लगाई है मैं उसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं मानता। हां रजिस्ट्रेशन होने को मैं ठीक मानता हूं इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान हो कि ठीक ढंग से अमल में लाया जाए। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : आप कोई सुझाव दो हम वैसा कर देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : इससे एक्सरसाइज ज्यादा होगी और कागज काले करने वाली बात है और इंस्पेक्टरी राज को ज्यादा मौका मिलेगा। आप तो कह रहे थे कि यह सरकार इंस्पैक्टरी राज को कम करेगी। इससे तो इंस्पैक्टरी राज को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि रजिस्ट्रेशन फीस है इसको विदड्रा किया जाये और रिन्यूवल की फीस भी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : खुरशीद अहमद जी अब आप बोलिए।

श्री खुरशीद अहमद (नूह) : स्पीकर सर, मेरा तो इतना ही कहना है कि यह जो फीस लगाई गई है यह बहुत ज्यादा है इससे छोटे लोगों को छोड़िए और बड़े-बड़े ठेकेदारों पर यह फीस लगाइये क्योंकि हरियाणा प्रदेश आज की तारीख में वैसे भी खजाने के आधार पर काफी गरीब है। लेकिन हरियाणा स्टेट के रिसोर्सिज इतने बिखरे हुए हैं कि उनका फायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं। उन साधनों को टैप किया जाए, वहां से आपको करोड़ों रुपया मिल सकेगा। अभी जैसे पिछले दिनों एक अमैंडमैंट हुई है जिससे आप लोगों पर भी और हमारे मेवात ऐरिया में खासकर असर पड़ा है। हमारे यहां पहाड़ हैं, उनमें से सड़कों पर बिछाने का और क्रशरों में पीसने का पत्थर निकलता है लेकिन उनकी जब लीज दी गई तो 3400 एकड़ की लीज दी गई थी। उसमें कह दिया गया था कि हरियाणा में कहीं पर पहाड़ नहीं हैं। इसमें चाइना क्ले की जो बात है वह कहीं-कहीं पर ही देखी जा सकती है या क्वार्टज जो कि एक चमकीला पत्थर होता है, उसको भी कहीं-कहीं पर ही देखा जा सकता है। बचपन से हम देख रहें हैं तथा 62 वर्ष हो गये हैं ये दोनों चीजें हमने कहीं नहीं देखी। लेकिन तमाशा अब यह हुआ है कि अमैंडमैंट करने के बाद फिर क्या किया गया कि चाइना क्ले अगर कोई निकालता है तो उसको उसके लिए पार्टिकुलर रॉयल्टी देनी पड़ती है, जिसमें 1200-1300 का फर्क आता है। अब सिंपल नोटिफिकेशन कर दी गई कि उस ऐरिया के लिए डैंट रेट को बदल कर, जो 2 हजार या 3 हजार जो कुछ भी है उसको 500 रुपये एकड़ कर दिया जाएगा, वहां पर चाहे चाइना क्ले या क्वार्टज मिले या न मिले। वरना पहले कोई 50 या 100 टन का स्टैंडर्ड होता था जिसमें टैक्स भी लीज होल्डर के ऊपर हिसाब से लगाए जाते थे। इस प्रकार से 3400 एकड़ को लीज पर देने से सरकार को तकरीबन 4-5 करोड़ का हर महीने लॉस हो रहा है। यह कब तक चलेगा। यह 20 साल तक चलेगा तथा हर साल 60 करोड़ का अगर सरकार का नुकसान होता रहेगा तो सरकारी खजाना तो खाली हो जाएगा। आज बड़े लोग क्या करते हैं। वे रूल्ज़ को अमैंड करा लेते हैं टैक्सेशन का अमैन्ड करा लेते हैं तथा गरीब आदमी को तथा विधान सभा के किसी सदस्य, या मंत्री को इसका पता भी नहीं चलता। इस प्रकार से उनके तो वारे के न्यारे होते रहेंगे। इस प्रकार से 3400 एकड़ जमीन से 5 करोड़ किसी पार्टी को मिल रहा है। मेरे पास वैसे इस समय पूरी डिटेल्ज़ तो नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को दस-दस हजार रुपये देने पड़ते हैं जब वे दुकान खोलते हैं, उसके 3 साल बाद फिर 20 हजार देने पड़ते हैं इस प्रकार से वह दुःखी होकर के दुकान ही बंद करके चला जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो बड़े आदमी हैं जो स्टेट रिसोर्सिज को खा रहे हैं उनको तो आप जरूर पकड़ें तथा गरीबों को छोड़ें। पहले वहां से गरीब आदमी या पंचायत वाला भी पत्थर ले लेता था लेकिन अब कोई नहीं ले सकता है। 20 साल के लिए चाइना क्ले और क्वार्टज की लीज है लेकिन ये दोनों चीजें पहाड़ों में कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। (विघ्न) चाइना क्ले अलग है क्वार्टज अलग है। (विघ्न) आप निकालकर देख लीजिए तथा जिओलॉजिस्टस से कंसल्ट कर लीजिए। You may go to the standered book sellers and consult the encyclopedia of America. (विघ्न) यह इसलिए किया गया कि सारे हरियाणा को चूना लगाया जाए। कुछ लोगों का ऐसा हिसाब होता है। (विघ्न) यह तो उस सरकार ने किया जो उस समय हकूमत में थी और जो सरकार

आज हकूमत में है उसने इसको अमैंड नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए दोनों ही सरकारें जिम्मेवार हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि चाहे कहीं भी किसी की भी गलती हो, उनको आप जरूर पकड़िए। अगर आपको स्टेट को साउंड फुटिंग पर लाना है तो जरूर उन लोगों को टैप कीजिए जिनकी रोजाना की आमदनी करोड़ों में है। जो गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए दुकान खोलता है उसको रजिस्ट्रेशन की समस्या आ घेरती है। 10-10 हजार रुपये उसको खोलते वक्त लगाने पड़ते हैं और फिर रिन्यू करते वक्त भी काफी राशि देनी पड़ती है। इसलिए मेरी तो यह प्रार्थना है कि उन गरीब लोगों की तरफ उदारता दिखा कर उन पर 100-200 रुपये लगाएं तथा रिन्यूअल के समय 4-5 रुपये लें। तथा उन बड़े-बड़े लोगों को पकड़िए जो करोड़ों रुपये स्टेट के खा रहे हैं। ऐसा करने से उनका मोटापा भी कम हो सकेगा क्योंकि उनकी स्लिमिंग की उम्र है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि यह कब से हो रहा है, कितने साल से हो रहा है ?

श्री खुरशीद अहमद : स्पीकर सर, यह जब से हो रहा है अब तक हो रहा है और आज की तारीख तक हो रहा है। आज तक मैंने भी सुना दी है और आप इंतजार कीजिए कल तक का। (हंसी)

श्री चरण दास (कैथल) : स्पीकर साहब इसके कम्पलीकेशंज काफी आएंगे। दुकानदारों को इंस्पैक्टर्ज साहेबान को जो सर्टीफिकेट देना पड़ेगा उसके लिए दुकानदार को एक एम्पलाई एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। दुकान दार अनपढ़ है जिसके कारण क्रपशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा क्रप्शन हुई है। उस क्रप्शन को रोकने में यह सरकार अब तक सफल नहीं हो पाई है। इसके लागू होने के बाद क्रप्शन और ज्यादा होगी। छोटे-छोटे दुकानदार 5-5 और 10-10 हजार रुपये लगा देंगे तो वे इतना पैसा कहां से कमा पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्रप्शन को जितनी कम कर पाएंगे उतने ही विकास के काम ज्यादा होंगे। क्रप्शन को कम करने की तरफ ध्यान न देने की बजाय अगर रुपये की क्लैक्शन की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा और स्टेट में विकास के काम नहीं होंगे। दुकानदार तो पहले ही मरे हुए हैं। अगर कोई दुकानदार गलती से थाने में जाकर कोई दरखास्त दे देता है तो उसको पसीना आ जाता है और वह किसी एम०एल०ए० की तरफ देखता रहता है। बैयर एक्ट हमारे पास नहीं हैं, इस बारे में कोई डिटेल हमारे पास नहीं है कि किस दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा इसलिए इस बारे में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। मैं तो यह कहता हूं कि इस बिल को विदड्रा किया जाए और इसको री-कंसीडर करके सदन में लाया जाये ताकि हर विधायक को इस पर बोलने का मौका मिल सके।

श्री जसवंत सिंह (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हाउस में जो अमैंडमैंट लेकर आए हैं मैं उसके पक्ष में कुछ बातें कहूंगा। मेरे कुछ आदरणीय साथियों ने कहा है कि इस संशोधन से गरीब आदमियों पर बोझ पड़ेगा। मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा कि इस अमैंडमैंट से उन लोगों पर थोड़ा सा बोझ पड़ेगा जो 10 आदमियों को मुलाजिम रखेंगे। आज एक मामूली सा पढ़ा-लिखा आदमी भी 1500 से 2000 रुपये महीने की तनख्वाह लेता है। मैं कहता हूं कि जो आदमी अपने 10 मुलाजिमों को महीने के बीस हजार रुपये तनख्वाह दे सकता है क्या वह रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे सकता। इन सारे के सारे अदायरों का जो कामकाज है जिनके बारे में मंत्री जी ने जिक्र किया है उनके बारे में यह बिल्कुल ठीक बात है कि मामूली सी रजिस्ट्रेशन फीस उन पर लगनी चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है इतना पैसा तो रजिस्ट्रेशन के कागजों पर लग जाएगा। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो प्राईवेट क्लीनिक्स हैं वे लोग तो लाखों और करोड़ों रुपये कमा लेते हैं उनके लिए 10 हजार रुपये तो कुछ भी नहीं हैं। मेरे कुछ आदरणीय साथियों ने एक बात कही कि इस सरकार ने यह वायदा किया

[श्री जसवंत सिंह]

था कि सरकार को प्रोहिबिशन लागू करने से जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति के लिए सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार अपने पांच साल के अर्से में कोई टैक्स नहीं लगा सकती ? क्या कोई सरकार कोई टैक्स लगाए बगैर पूरे पांच साल तक चल सकती है ? क्या कोई सरकार अपने पांच साल के अर्से में कोई टैक्स लगा ही नहीं सकती ? मेरे विरोधी पक्ष के भाई तो हर बार यही कहेंगे कि सरकार को प्रोहिबिशन लागू करने की वजह से जो 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह कोई वाजिब बात नहीं है। मैं कहता हूं कि यह बहुत ही अच्छी अमैंडमैंट है इसलिए इसको पास किया जाना चाहिए।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो अमैंडमैंट लेकर आए हैं इसके लागू होने के बाद कोई भी दुकानदार रजिस्ट्रेशन फीस से नहीं बचेगा। इस अमैंडमैंट के लागू होने के बाद एक छोटे से ढाबे वाला भी नहीं बचेगा। चाय बनाने वाला भी नहीं बचेगा जिसके पास जूठे कप साफ करने वाला एक भी नौकर होगा उसको भी रजिस्ट्रेशन फीस के 10 हजार रुपये देने पड़ेंगे। जो मैं समझा हूं कि अगर एक दुकानदार एक मुनीम भी रखता है तो उस दुकानदार को भी 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से कहना है कि सरकार इस बिल को वापिस ले और री-कंसीडर करके सदन में लाए। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगनी चाहिए, यह एक अच्छी बात नहीं है लेकिन यह जो अमैंडमैंट है इससे गरीब से गरीब दुकानदार भी नहीं बच पाएगा जोकि नहीं होनी चाहिए।

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से जो हमारे माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने कही कि इस बिल की पूरी डिटेल्ज साथ आतीं और पूरा ब्यौरा साथ होता तो अच्छा होता, सहमत हूं। मैं समझता हूं कि यदि यह पूरा बिल आता तो शायद फिर इस बिल में अमैंडमैंट या इसके विरोध में बोलने के लिए बात न आती। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर बड़े-बड़े नर्सिंग होम्ज हैं, बड़े-बड़े होटल्ज हैं वे बड़ा पैसा कमाते हैं। आप सब स्वयं भुक्तभोगी होंगे कि एक-एक नर्सिंग होम में जहां डाक्टर नब्ज देखने के ही 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं ऐसे लोगों पर 10 हजार रूपया लगाया गया है। जहां तक दूसरी कैटेगरीज हैं जैसे आटोमोबाईल या बड़े-बड़े कम्प्यूटर सैंटर हैं उन पर केवल पांच हजार रुपया लगाया है यानि जहां पर 10 एम्पलाईज या उससे अधिक काम करते हैं। ऐसा करने से भारत सरकार की जो नीति है कि मजदूर को जो कम से कम वेजिज मिलें, वह भी मिलेंगे क्योंकि उसको पूरा रिकार्ड रखना होगा। इससे मजदूरों को अपना पूरा हक मिलेगा। एक तीसरी कैटेगरी है जहां पर 10 से कम या 7-8 आदमी काम करते होंगे उन दुकानदारों पर या व्यवसायियों पर केवल 2 हजार रुपया टैक्स लगाया है। चौथी कैटेगरी जिसके बारे में शोरेवाला जी ने कहा कि कुछ लोग अपना छोटा-मोटा काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, ऐसे लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है यानि उनसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए कि जो बड़े-बड़े इन्स्टीच्यूशंज हैं वे बहुत पैसा कमाते हैं, उन पर यह रजिस्ट्रेशन फीस लगाई गई है। आपने देखा होगा कि बच्चों को किसी बड़े इन्स्टीच्यूशन में दाखिला दिलाने के लिए 20 से 50-50 हजार रुपया एडमिशन चार्जिज के देने पड़ते हैं। प्राईवेट स्कूलों में भी इतनी अधिक फीस ली जाती है कि आम आदमी तो उसमें अपने बच्चे को दाखिल कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए ही यह रजिस्ट्रेशन फीस लागू की गई है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अमैंडमैंट करके इसे दुबारा पेश किया जाये। अतः सदन से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पास कर दिया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी बोलते हुए चरणदास शोरेवाला जी ने तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि जहां पर 10 एम्पलाईज से कम आदमी काम करते हैं उनको इस रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दे दी जाये। यदि सभी सहमत हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम इसमें अमैंडमैंड ला देते हैं।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों की भवनाओं को देखते हुए हम इस बिल में अमैंडमैंट करते हैं कि जहां पर 10 से कम एम्पलाईज काम करते हैं, उनसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, उनको इस रजिस्ट्रेशन फीस से एग्जैम्प्ट किया जाता है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इतना डैमोक्रेटिक नार्म यहां पर कायम हुआ है। चौधरी भजन लाल जी ने सुझाव दिया, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी सुझाव दिया, लाला शोरेवाला जी ने भी सुझाव दिया और सरकार ने तुरन्त उस सुझाव को मान लिया। सरकार तुरन्त प्रभाव से उसे मानने के लिए कह रही है लेकिन इनको इस पर भी एतराज है (विघ्न)

श्री गणेशी लाल : स्पीकर साहब, यह अमैंडमैंट हम अभी थोड़ी देर में हाउस के सामने ले आएंगे। तीसरी कैटेगरी में जहां 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं जो 2 हजार तक सोचा गया था उससे उनको मुक्त करने की अमैंडमैंट हम ला रहे हैं। (विघ्न)

श्री बृज मोहन सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या जो 10 की संख्या रखी गई है इसमें डेली वेजिज पर काम करने वाले एम्पलाईज को इन्कलूड किया जाएगा या एक्सकलूड किया जाएगा ?

श्री गणेशी लाल : इसे एक्सकलूड किया जाएगा। (विघ्न)

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरी सबमिशन यह है कि जब तक सरकार की ओर से अमैंडमैंट हाउस में आए तब तक दूसरा बिल ले लें। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अगला बिल हाउस में इण्ट्रोडयूस करने की रिक्वैस्ट करूं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी, आप अभी अपनी सीट पर बैठें।

श्री बंसी लाल : स्पीकर सर, अभी आप दूसरा बिल टेक-अप कर लें, हम थोड़ी देर में अमैंडमैंट ले आएंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या हाउस सहमत है कि इस बिल की डिस्कशन पोस्टफोन करके अगला बिल टेक-अप कर लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

(iii) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1996 and move the motion for its consideration.

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) जो लाया गया है इसमें जो पहले प्रावधान विश्वविद्यालय में चल रहे थे उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करने जा रहे है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्थान है तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का संस्थान है। विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति

[श्री राम बिलास शर्मा]

पहले भी सभी सरकारें करती आई हैं हमने उस प्रावधान के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की नियुक्ति के मामले को इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह इतना ही संशोधन है। स्पीकर सर, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken in to consideration at once.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित एक और बिल अभी पेश किया जाना है, उस बिल को भी इस बिल के साथ जोड़ लिया जाए। इन दोनों बिलों का विषय लगभग एक समान है इसलिए दोनों बिलों पर इकट्ठी ही बहस हो जाएगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभी जो बिल विचाराधीन है उस पर ही विचार किया जाएगा। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा मंत्री जी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 प्रस्तुत किया है। उसके द्वारा सरकार की जो मंशा है उसे उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, यह भी इत्फाक की बात है कि आज इस हाउस के बहुत ही सम्मानित सदस्य शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री बनने से पहले उनका शिक्षा जगत से बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है और आज हाउस में आप भी सबसे सम्मानित चेयर पर विराजमान हैं। आपका भी शिक्षा जगत से बहुत लम्बा रिश्ता रहा है। इसी तरह की चर्चा 12 मार्च, 1993 को भी हुई थी और उस दिन में यह सौभाग्य की बात थी कि जो प्रस्ताव या संशोधन आया था उस समय की शिक्षा मंत्री साहिबा भी शिक्षा जगत से सम्बन्धित थीं और आपके स्थान पर जो स्पीकर साहब थे उनका भी शिक्षा जगत से बहुत गहरा सम्बन्ध था। यह इत्फाक कहें या कुदरत का लेखा कहें। आज जो संशोधन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा मंत्री जी लेकर आए हैं इससे हमें शंका जाहिर होती है और उसी शंका को मैं यहां पर उजागर करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय का अपना अलग से इतिहास, उसकी पावर होती है। इस विधेयक के संशोधन के आने के बाद उसकी निक्षपक्षता पर शक पैदा हो रहा है। सरकार इस तरह का संशोधन लाकर विश्वविद्यालय के विकास पर, उसके कार्यों पर उनके अधिकार क्षेत्रों पर न केवल हनन कर रही है बल्कि उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए स्पीकर साहब, जो 12 मार्च 1993 को संशोधन आया था उसके दो शब्द मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। आपने विरोध करते हुए कहा था कि अच्छा होगा अगर इस संशोधन को वापिस ले लिया जाए। उस वक्त विरोधी पक्ष में आप, हम और राम बिलास शर्मा जी थे। आपने उस वक्त वकालत की थी और शिक्षा मंत्री जी से उसे ड्राप करने को कहा था।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : स्पीकर साहब, इस हाउस के मेम्बर्ज को यह पता नहीं है कि उस वक्त क्या अमैंडमैंट थी और क्या विचार थे। मैं धीरपाल जी से कहूंगा कि ये बताएं कि ये किस पर बोल रहे हैं। उस वक्त दो अमैंडमैंट थीं एक अमैंडमैंट वाइसचांसलर की थी और दूसरी अपवायंटमैंट आफ रजिस्ट्रार थी। उस वक्त कौन सी अमैंडमैंट थी जिसके बारे में अब बोल रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी तो एक ऑटोनोमस बौडी है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिए। पहले धीरपाल सिंह जी को कम्पलीट करने दें। धीरपाल जी, आप जो कहना चाहते हैं, वह स्पैसिफिक बताएं।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस समय जो माहौल था और आपने उस समय इस बारे में जो पुरजोर अपील की थी, उसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मुझे इस समय याद नहीं है कि मैंने उस समय क्या कहा था। आप मुझे बताएं कि क्या कहा था।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं 12 मार्च, 1993 की डिबेट में से आपके द्वारा दी गयी स्पीच पढ़ देता हूँ। आपने कहा था - 'स्पीकर साहब, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बहिन जी जो दो बिल लाई हैं, उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके द्वारा बहिन जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राजनीति में बाद में आई हैं और उनकी पृष्ठभूमि एक अध्यापिका की है। स्पीकर साहब, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इस सदन के अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा के महान शिक्षा शास्त्रियों में से हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले अनुभवों को देखते हुए चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एम०डी०यू० हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो या हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, अगर वहां कोई महान् शिक्षाविद वाईस चांसलर नियुक्त हो तो उसको हम खुला साथ दें, वह किसी भी ढंग से अपना प्रशासन चलाए। तो मेरे ख्याल में उस यूनिवर्सिटी का भला होगा। मैं इस विरोध में नहीं हूँ कि वहां पर कोई आई०ए०एस० अफसर न जाए और यह भी नहीं होना चाहिए कि आई०ए०एस० अफसर ए टू जैड को आप वाईस चांसलर बना दें। जिनकी एजुकेशन में बहुत अच्छी बैक ग्राउंड है उनको जरूर लगाएं और जिसकी ऐजुकेशन में कोई रूचि न हो तो वह विश्वविद्यालय के लिए अच्छा नहीं होगा।" आगे फिर आपने यह विनती की थी कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। जब आपकी बात स्वीकार नहीं की गयी थी तब फिर आपने एवं आपकी पार्टी के दूसरे साथियों ने वाक आउट किया था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जैसे महान शिक्षा शास्त्रियों के होते हुए जो यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर अंकुश और कब्जा करने की राजनीति का प्रयास किया जा रहा है, वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि क्या अंकुश लगाया जा रहा है।

श्री मनीराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे पहले भी प्रश्न किया था कि ये पहले यह बता दें कि यह किस बिल पर इन्होंने टिप्पणी की थी और किस वक्त यह बात आयी थी ताकि उनको यह टिप्पणी करनी पड़ी क्योंकि हम तो नये मैम्बर हैं हमें तो पता नहीं कि उस समय क्या हुआ था।

श्री धीरपाल सिंह : अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप उस तारीख की डिबेट मांग लें।

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, आप अपनी बात कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : मैं यह चाहता हूँ कि यह जो रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री जी बिल सदन में लेकर आए हैं इससे महसूस होता है कि जहां सरकार ने पहले अपने ढंग से पी०वी०सी० और वी०सी० की नियुक्तियां की हैं और कर रही है तो उसमें भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई है और आज जो काम बाकी बचा है उसको भी वह अपने कब्जे में लेने के लिए यह बिल ला रही है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति डैमोक्रेटिक सिस्टम में और जो विश्वविद्यालय का संविधान है उसके अनुसार होनी चाहिए। उसके संविधान के मुताबिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति वहां की कौंसिल के सुझाव पर होती रही है। जब कौंसिल के सुझाव पर नियुक्ति होगी तो जो रजिस्ट्रार वहां नियुक्त होगा तो उसकी हमदर्दी उस संस्था के प्रति ही होगी न कि सरकार के प्रति।

श्री अध्यक्ष : आप इंसीडेन्ट कोट करके बताएं कि कौन सा रजिस्ट्रार इस तरह से नियुक्त हुआ और कब हुआ। अगर आप इस तरह से बताएंगे तब आपकी बात में वजन बनेगा।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, हमारे यहां एम०डी०यू० रोहतक में जो हो रहा है वह संशोधन भी आएगा और हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा संशोधन रखा जाए जिसका हरियाणा में दुरुपयोग हो (विघ्न)

श्री मनीराम गोदारा : स्पीकर सर, जो चीज आएगी नहीं उसके लिए पहले जिक्र कर रहे हैं बात यह है कि क्या आई या आई थी यह क्लीयर करें।

श्री धीरपाल सिंह : उस समय जो बिल आया था उसमें यह था कि विश्वविद्यालय में जो पैसा खर्च किया जाता है वह विश्वविद्यालय के अधिकार में जो पी०बी०सी० हैं या बी०सी० हैं उनके अधिकार में था उस समय सरकार यह चाहती थी कि उस पैसे के खर्च का अधिकार भी सरकार को मिले और वह पैसा सरकार के दिशानिर्देश से खर्च किया जाए।

श्री अध्यक्ष : पैसा कौन खर्च करे ?

श्री धीरपाल सिंह : सरकार का नौमिनी करे।

Mr. Speaker : Who will be nominee ? You are not clear in your views.

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैंने क्लीयर किया है कि सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारों में हनन करते हुए पी०बी०सी० की पोस्ट क्रिएट की। मेरी आपसे हम्बल सबमीशिन है कि आपके और प्रो० राम विलास शर्मा जी जैसी महान हस्तियों के होते हुए ऐसा संशोधन किया गया तो इतिहास में एक काला अध्याय और जुड़ जाएगा। स्पीकर सर, हरियाणा में शिक्षा मंत्री जी के प्रति जो लोगों में हमदर्दी है उस पर प्रश्नचिन्ह लगने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसा कदम न उठाएं।

Mr. Speaker : Dhirpal ji, you are not clear in your views.

12.00 बजे **श्री धीरपाल सिंह** : मैं उस बारे में कह रहा हूं जो हरियाणा में एक गलत परम्परा डालने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी आप बैठिए।

श्री धीरपाल सिंह : उस समय 12 मार्च 1993 को एक चर्चा आपने की थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी आप अपनी बात कहिये। उस समय क्या हुआ यह कहने की जरूरत नहीं है। Please be clear in you mind before you say anything.

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन किया जा रहा है इस संशोधन के तहत सरकार बी०सी०की सीधी पावर लेकर रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त करने जा रही है उसको शिक्षा मंत्री मेहरबानी करके विदड्रा करें। दूसरी बात यह है कि चौधरी बंसीलाल जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो छात्र संघ के चुनाव पर अंकुश लगाया जाता है। यह एक डैमोक्रेटिक सिस्टम है, परम्परा है, सदन को अधिकार दिया है कि विधान सभा हो या पार्लियामेंट हो, पंचायत हो या शिक्षा जगत हो (विघ्न)

श्री मनीराम गोदारा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। देखिए आदरणीय सदस्य को थोड़ा यह मालूम कर लेना चाहिए कि चुनाव के मामले में हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर को यह अधिकार दिया जायेगा कि छात्र संघ का चुनाव का फैसला वह खुद करें क्योंकि यह मामला चीफ मिनिस्टर का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चुनाव का इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। You should not go beyond the facts.

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं कि जो छात्र संघ के चुनावों पर पाबन्दी लगाई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां पाबन्दी है बताईये।

श्री धीरपाल सिंह : रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर सरकार को असीमित पावर देने का जो संशोधन इस सदन में लाया जा रहा है और विश्वविद्यालय के अधिकार को कम करने जा रहे हैं मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बिल को वापिस ले लें। इस बिल के जरिये प्रदेश के इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ जायेगा। यह सरकार की मंशा दर्शा रहे हैं यह डैमोक्रेटिक सिस्टम को नष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। मेहरबानी करके लोकतंत्र प्रणाली को जिन्दा रखने में सहयोग दें। यही मेरी इनसे गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी आप बोलिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा चौधरी मनीराम गोदारा जी से पूछना चाह रहा था कि इस मामले में यह पिछले हालत पर न जायें। क्योंकि पीछे यह कहा गया था कि यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस बॉडी है और उसके अधिकार क्षेत्र पर अंकुश लगाने के लिये पिछली सरकार भी एक अमैंडमेंट लायी थी और स्पीकर साहब आपने उस अमैंडमेंट का डट कर विरोध किया और सदन से वाक आउट किया था। बिल वह भी काला था और यह अमैंडमेंट भी काली है। उस समय आप सभी ने लबालब शब्दों में यह कहा था कि यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र पर अंकुश न लगाया जाये। राम बिलास जी ने भी उस समय उस बिल का विरोध किया था। अब पता नहीं क्यों राम बिलास जी बदल रहे हैं। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस बिल के आने से रजिस्ट्रार की पावर पर अंकुश लगेगा और यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र पर अंकुश लगेगा। फिर शिक्षा के स्तर में वैसे भी हरियाणा प्रदेश में निरन्तर गिरावट आती जा रही है।कल इस पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें मैं दुबारा जाना नहीं चाहता । अगर इस पर फिर अंकुश लगेगा तो शिक्षा का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप दोनों शिक्षाविद हैं। इसलिये धीरपाल जी ने कहा कि आपकी मौजूदगी में ऐसे काले बिल आएंगे तो फिर हरियाणा की दशा बहुत खराब हो जाएगी। गोदारा जी, ऐसा करने से पहले अपने गुरू भजन लाल जी से पूछ लें। (हंसी)

श्री मनीराम गोदारा : स्पीकर सर, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस तरह से नहीं कहा है । इस पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन का प्रश्न नहीं बनता।

श्री मनीराम गोदारा : गुरू महाराज जी से मैं कह रहा हूं कि उनके पास जो-जो गुर हैं, मेरा मतलब यह है कि जो कमाई वाले गुर हैं, वे मुझे बता दें (हंसी)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इनको सारे गुर बता दूंगा तो 6 महीने के बाद हम इनको कैसे हटाएंगे ? (हंसी)

श्री मनी राम गोदारा : मैंने तो गुर कमाई करने वाले कहे थे। (विघ्न)

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगननाथ) : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी, पिछले सैशन में भी कह गये थे कि 6 महीने तक यह सरकार चलेगी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है। भजन लाल जी, सफर बहुत लंबा है। कहां कालका और कहां होडल (शोर एवं व्यवधान)

श्री खुर्शीद अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आज यह जो बिल लाया गया है एक आर्डिनैंस को रेगूलेराइज करने के लिये लाया गया है। एक्शन तो सरकार इसमें पहले ही ले चुकी है। सिर्फ इसको अप्रूव करने का मामला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिल है। अगर इसको देखा जाए कि इसके क्या रिपरकशंज होंगे तो हैरानी होगी। यूनिवर्सिटी के स्टैण्डर्ड और ऑटोनामी की एक ट्रेडीशन है। यूनिवर्सिटी की अकैडेमिक अचीवमैंट के लिए ऑटोनामी जरूरी है। उस पर कोई भी धोखा करना अकैडेमिक इंट्रैस्टस के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, आप दोनों तो अकैडेमिज हैं। इस बारे में आप तो भलीभांति जानकार हैं, इसलिये आपकी हमदर्दी तो इस बिल के साथ होनी चाहिए थी। पिछली डिस्कशन का मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज के बिल में जो एक क्लाज दी गई है, उसमें यामि रीज़ंज में जो आया है, उसमें एक बात उन्होंने कही है कि यूनिवर्सिटीज को सरकार फंड करती है। इसलिये सारा मामला सरकार अपने हाथ में ले ले यह जस्टीफाइड नहीं है। एजूकेशन किसी भी राज्य में हमेशा उसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी रही है। आज भी कोई स्टेट कह नहीं सकता कि एजूकेशन को बगैर स्टेट के फंड किए दूसरी कोई और संस्था चलाए। एजूकेशन पर स्टेट का पैसा खर्च होता है। मैं समझता हूं कि उच्च प्राथमिकता पर एजूकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया गया लेकिन उस पैसे के बदले अकैडेमिक इंट्रैस्टस को बिल्कुल सैकरीफाइस कर दिया जाए तो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कल को आपको इसमें दिक्कत आए। सरकार कोई परमानैंट बॉडी नहीं है। It is not for one man. Anybody can say that सरकार आज रह सकती हैं, कल नहीं भी रह सकती है। आज जिस की सरकार है, कल को किसी और की हो सकती है। आप सभी भी सरकारों में रहे हैं भले ही कोई कितना पढ़ा है। कोई पी0एच0डी0 ऐसा होता है जो बिल्कुल अनपढ़ कहलाता है। उनको कैसे बताऊंगा। (विघ्न) वह मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। (विघ्न) मेरा पड़ौसी कम थोड़े ही है। लेकिन मैं एक शख्स के लिए नहीं कह सकता। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हर पी०एच०डी० को ऐसा ही पी०एच०डी० समझा जाएगा जैसा वह क्लेम करेगा। इस बिल को बजाय पास करने के मैं यह कहूंगा कि अकैडेमिक इंट्रैस्ट में this should be postponed. वरना हर जगह यह हो रहा है कि गवर्नमैंट और एग्जैक्टिव कौंसिल को इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर इस बिल को पास करना ही है तो एग्जैक्टिव कौंसिल को टोटली डिसबैंड कर दिया जाना जाहिए। It should say that Lock Stock and barell, it should be disbanded totally. अगर गवर्नमैंट यह पावर अपने हाथ में ले लेगी और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी फेल होती है या इसके रिपरकशंज गलत होते हैं तो उसके लिए एग्जैक्टिव कौंसिल को क्लेम करेंगे या गवर्नमैंट को क्लेम करेंगे। बाई चांस गवर्नमैंट ने इसमें यह बात लिखी है कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो उसके लिए टोटली गवर्नमैंट को क्लेम है। आखिर में इस बिल की एक क्लाज में लिखा है कि-

'In case of conflict, the Government will have over-riding authority on every thing."

यह वाईडिंग तो लगा दी लेकिन गवर्नमैंट का काम टीचिंग बिजनैस से डिफरैंट है। गवर्नमैंट का काम तो गवर्न करना है। क्या पढ़ाया जाए क्या लिखाया जाए क्या बात की जाए। जो पावर गवर्नमैंट अपने हाथ में लेने जा रही है वह यूनिवर्सिटी की एग्जैक्टिव कौंसिल के पास ही रहनी चाहिए। यह अमैंडमैंट एजूकेशन के इंट्रैस्ट में नहीं है। Keeping every-thing in views, I would request the Hon'ble Education Minister to withdraw this Bill forthwith.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी पार्टी के सदस्यों को इस बिल पर बोलने के लिये समय दें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बोलें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। हमारी पार्टी के सदस्य श्री सुरजेवाला बोलना चाहेंगे, आप उन्हें बोलने के लिए टाईम दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सुरजेवाला जी बोलें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत देर के बाद मुझे बोलने का मौका दिया है। स्पीकर साहब, इस बिल के जरिए शिक्षा मंत्री जी तीन तरह के संशोधन ले कर आए हैं एक तो यह है कि इस संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की पावर बजाय एग्जैक्टिव कौंसिल के, गवर्नमैंट के हाथ में चली जाएगी। दूसरी यह है कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक्ट की सैक्शन 21 का भी संशोधन करने का इस बिल में प्रावधान किया गया है। आप एक्ट की सब सैक्शन (2) देखें जो संशोधन से पहले की है उसके मुताबिक हर यूनिवर्सिटी स्टेट्यूटस के द्वारा चलती है और वह स्टेट्यूटस बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टिव कौंसिल के पास है। वह हक किसी और के पास हो नहीं सकता। इस संशोधन के द्वारा कमाल की बात यह है कि सरकार यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूटस बनाने का काम अपने हाथ में लेने लग रही है। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से जो सब क्लाज बन है उसके साथ सब सैक्शन एड करना चाहते हैं उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। स्पीकर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इस बिल की तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाया गया और न ही शिक्षा मंत्री जी का इस बिल की तरफ ध्यान दिलाया गया। अगर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बिल की तरफ दिला दिया जाता तो वे यह संशोधन बिल सदन में नहीं ले कर आते।

Mr. Speaker Sir, Govt. is adding a new sub-section (2) in sub-section (i) of section 21 of the Principal Act, which says -

"(i) In sub-section (2) for the words and signs" The Executive Council may, from time to time, "the words and signs " Government or the Executive Council may, from time to time." shall be substituted."

Speaker Sir, may I request you to draw your kind attention to the un-amended Section (2) of Section 21 of the Kurukshetra University Act, 1986, which reads as under :-

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the statutes in manner hereafter provided in this section.

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statutes, affecting the status, powers or constitution of any authority of the University.....'

स्पीकर साहब, आपका शिक्षाविद होने के नाते से जो अपार तजुर्बा है उसके नाते से आप भी और शिक्षा मंत्री जी भी यह बाखूबी जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एग्जैक्टिव कौंसिल की फौरमेशन और यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूटस हैं जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी की कार्यवाही चलती है और हर तरह के मामलों का निपटारा होता है। आज यह सरकार इस संशोधित बिल के द्वारा वह पावर एग्जैक्टिव कौंसिल से अपने हाथ में ले रही है। यही नहीं एक तीसरा संशोधन भी लाया जा रहा है।

Sir, I want to draw your attention to proposed sub-section (5) of Section 21 of the principal Act, which reads as under :-

'(5) If there is any contradiction or over-lapping in Statutes so made, repealed or amended, the Statutes made, repealed or amended by the Government

[रणदीप सिंह सुरजेवाला]

shall have over riding effect.'

This is putting the final nail in the coffin, taking all powers from the Executive Council and from the people who are supposed to run the University and vesting the same in the State Government. स्पीकर साहब, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की ब्लैकमेल यूनिवर्सिटी के हर मामले में की जा रही है, वह ठीक नहीं है। इस अमैंडमैंट से यूनिवर्सिटी एक इन्डीपेन्डैंट आटोनमस बॉडी न रहकर सरकार का एक महकमा बन कर रह जायेगी। हमारे शिक्षामंत्री जी ने जो शिक्षाविद भी हैं पूरी बातें आपके ध्यान में इस अमैंडमैंट के बारे में नहीं लाई होंगी और न ही इनको पूरी बातें बताई गई होंगी। यदि सारी बातों का सही ज्ञान इनको होता तो शायद ये इस अमैंडमैंट को इस वक्त न लाते। मैं तो यह समझता हूं कि रजिस्ट्रार तो यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी होता है, उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1986 में यहां पर एक एक्ट पास किया गया था, उस एक्ट में रजिस्ट्रार की डियूटीज इस प्रकार थी -

It shall be the duty of the Registrar-

(a) to be custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Vice-Chancellor shall commit to his charge;

(b) to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the faculties and of any Committee appointed by any authority of the University;

(c) to keep the minutes of all meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the faculties and any committee appointed by the authorities of the University;

(d) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council, the Academic Council and the faculties;

(e) to supply to the Chancellor copies of the agenda, the minutes of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued;

(f) to perform such other duties as may, from time to time, be assigned to him by the Vice-Chancellor.

स्पीकर साहब अगर ऐसे व्यक्ति को जो यूनिवर्सिटी की बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी है, सरकार एप्वायंट करेगी, तो मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति कभी भी निर्भीक और निडर होकर काम नहीं कर सकता। होना तो यह चाहिए था कि इन यूनिवर्सिटीज के बहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया जाता। इस अमैंडमैंट के जरिये सैक्शन 11 में जिस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी पैदा की जा रही है वह ठीक नहीं है। अगर मैं यह कहूं कि हमारी जो दूसरी एम०डी०यू० या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डैमोक्रेटिक वैल्यू का कत्ल किया गया है, मैं समझता हूं कि गलत नहीं होगा। अतः इन सारी बातों को देखते हुए इस बिल को पुनः कंसीडर किया जाये और हाउस की एक कमेटी बनाई जाये जो सारी बातों को देखे इसलिये इस अमैंडमैंट को उस वक्त तक लागू न किया जाये। इसी प्रकार से रजिस्ट्रार की एप्वायंटमैंट के अलावा जो ये अमैंडमैंट करने जा रहे हैं उससे रजिस्ट्रार और एग्जैक्टिव कौंसिल के बीच एक टकराव की बात होगी इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अमैंडमैंट को न लाया जाये।

इसी प्रकार से सरकार को यूनिवर्सिटीज के स्टेटयूटस के अनुसार डे-टू-डे अनुसार कार्यवाही को चलाने का हक दे दिया गया है। माननीय श्री मंगीराम गोदारा जी ने कहा था कि मुख्य मंत्री जी ने यह

स्पष्ट किया है कि यूनिवर्सिटीज का मामला सरकार से परे है और वाईस चान्सलर फैसला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सदन के नेता को बताना चाहूंगा कि क्या इस अमैंडमैंट के साथ कोई रीज़नेबल आदमी कह सकता है कि अब यह सब की सब यूनिवर्सिटीज़ चाहे कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बिल हो या दूसरी यूनिवर्सिटी का बिल हो जिसे शिक्षा मन्त्री महोदय प्रस्तुत करेंगे इनके पास होने के बाद यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनोमी बनी रहेगी। इन बिलों के पास होने के बाद यूनिवर्सिटीज़ एक प्रकार से डिपार्टमैंट का अभिन्न अंग बन कर रह जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को ड्रॉप कर दिया जाए या इसके लिए हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि क्या इस बिल पर यूंही बहस वगैरा चलती रहेगी। जब यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाने का अधिकार इस सदन को है तो फिर अमैंडमैंट करने का अधिकार भी इसी सदन के पास है, इसमें कोई बहस की बात नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो डिस्कशन चल रही है उसका सार अगर हम बहुत ही सफाई से देखें तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति और एग्जैक्टिव कौंसिल की पावर्ज के बारे में हम विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर चर्चा करते हुए मेरे आदरणीय साथी श्री सुरजेवाला ने बताया। वे सभी रजिस्ट्रार की डियूटीज़ हैं वे रजिस्ट्रार की कोई ऐसी पावर्ज़ नहीं है जो वह एक्सरसाईज़ कर सके। वाईस चांसलर और एग्जैक्टिव कौंसिल की जो पावर्ज़ हैं रजिस्ट्रार केवल उन कागजों को रखने वाला एक अफसर है (विघ्न) ये उनको पढ़ कर देखें (विघ्न) रजिस्ट्रार की अपनी कोई पावर नहीं है यह रजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसको सारी बातें वाईस चांसलर या एग्जैक्टिव कौंसिल बताएगी, एक्ट के मुताबिक तो जो बताया गया है वह रजिस्ट्रार की डियूटीज़ हैं। रजिस्ट्रार की यूनिवर्सिटी में वही पोजीशन है जोकि कम्पनी में एक सैक्रेटरी की होती है। सैक्रेटरी कम्पनी के सारे कागज़ बोर्ड की जो मीटिंगज़ होती हैं उनके मिनट्स उसके पास रहते हैं और जो फैसले होते हैं वह सारा रिकार्ड उसके पास रहता है। वह सारे कागज़ रखता है और सारी बातें और पावर्ज बोर्ड के पास, चेयरमैन के या कम्पनी के एम०डी० के पास होती हैं। जो काम कम्पनी में सैक्रेटरी का होता है उसी तरह का काम रजिस्ट्रार को दिया गया है। कई जॉबज़ ऐसी हैं जहां कम्पनीज़ एक्ट को साफ पढ़ा जा सकता है। यदि आप कम्पनीज़ एक्ट को पढ़ें तो साफ होगा कि भारत सरकार के पास ऐसी पावर्ज़ हैं कि इण्डिपैंडैंट कम्पनीज़ के अन्दर भारत सरकार अपना सैक्रेटरी रख सकती है। प्राईवेट कम्पनीज़ ऑटोनोमी कमर्शियल रखते हुए इन्स्टीच्यूट बना कर अपना काम करती हैं लेकिन भारत सरकार भी उनको चलाने के लिए अपना सैक्रेटरी नियुक्त कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसी लाईन पर अगर हम देखें एक रजिस्ट्रार गर्वनमैंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। गवर्नमैंट किस की है। गवर्नमैंट हरियाणा के लोगों की है। आम जनमत से और जनता से मैण्डेट ले कर सरकार आई है और 5 साल के बाद फिर से हम लोग जनता के पास जाएंगे (विघ्न) हमने फिर लोगों के सामने जाना है। हम लोगों को बताएंगे कि हमने क्या किया अगर लोगों को हमारा काम गलत लगेगा तो हमें आगे मैंडेट नहीं मिलेगा। पहली सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार का वाईस चांसलर नियुक्त किया । वे खुद एक अध्यापक थे और बहुत ही अच्छे साईंटिस्ट और बहुत ही अच्छे व्यक्ति और मेहनती तथा काबिल आदमी थे। कौन कह सकता है कि 10 साल तक या 20 साल तक वे वहां नहीं रहेंगे। आज जो विरोधी पक्ष के लोगों के साथ बैठे हैं उन्होंने वाईस चांसलर एप्वायंट किया है।(विघ्न)

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, श्री ए०एल० चौधरी बहुत लायक आदमी थे, चौधरी देवी लाल जी के काल में उनको इस पद पर लगाया गया था। आज वे सैन्टर में उससे भी ऊंचे पद पर हैं। उसी तरह से रोहतक के अन्दर डॉ० जे०पी० को भी लगाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जाएं।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं हिसार से ताल्लुक रखता हूं और मैं वहां से पहले भी मैम्बर रहा हूं। जिस वक्त मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था हमने उस वक्त यूनिवर्सिटी को इन्डीपैंडैंट बनाने का काम शुरू किया था और यह रिकार्ड की बात है। जिन आदरणीय वाइस चांसलर जी का नाम डॉ० बीरेन्द्र पाल जी ने लिया है मैं उनको पर्सनली तौर पर जानता हूं। उन्होंने जितना जात बिरादरी का जहर एच०ए०यू० हिसार में फैलाया, किसी और ने नहीं फैलाया था। उन्होंने मेरे सामने कहा कि अगर आप ऐसे किसी आदमी की बात कहते हैं जो उनकी जात का है तो ठीक है अगर उस बिरादरी से बाहर की बात कहते हैं तो गलत बात है। वह व्यक्ति आज यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन इन्होंने उनका नाम लिया तो मैंने उनकी यह बात बताई । कोई कितना ही बड़ा आफिसर बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधान मंत्री बन जाए। आज हवाला कांड में कितने ही मिनिस्टर जेलों के अन्दर हैं और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आज एक्स प्राईम मिनिस्टर भी कोर्ट का चक्कर काट रहा है और ये बड़े पद की बात कर रहे हैं कि वह बड़े पद पर चला गया। कोई बेईमानी से कहीं पर भी चला जाए तो वह बड़ा नहीं हो जाता। आज बड़े-बड़े बैंकों के मैनेजर घपला करके आत्महत्या कर लेते हैं। बड़ा आदमी होना बड़ी बात नहीं है बड़ा काम करना बड़ी बात है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसवन्त सिंह जी आप यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित ही बात करें और एक मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं कन्क्लूड करता हूं आज एम०डी० यूनिवर्सिटी रोहतक के जो हालात हैं वे सबके सामने हैं। सारा प्रदेश उस बारे में जानता है। वह कोई अच्छी बात नहीं है, हम सबको इस बारे में अफसोस है। आज जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के हालात हैं, अगर उनको ठीक करना है तो आज जो यह सरकार विधेयक लाई है वह ठीक समय पर और ठीक वक्त पर लाई है। सरकार को इस विधेयक को पास करना चाहिए।धन्यवाद।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर धीरपाल जी ने अपना सुझाव दिया और उनकी जो सारी तकरीर थी उसमें उनका कहना है कि यह एक अंदेशा है। उन्होंने 12 मार्च, 1993 में बिल पर अध्यक्ष महोदय, आपने और मैंने जो बोला उसको उद्धृत किया। तो जो अंदेशा है जिसके ऊपर कोई बात कही नहीं जाती चौटाला साहब ने भी बात कही है। इस तरह के संशोधन का विरोध किया है। स्पीकर साहब यह सदन विधि विधान निर्माता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस सदन की मालिक है। उसने हमारे जिम्मे कभी कोई जिम्मेवारी दे दी तो कभी कोई जिम्मेवारी दे दी। अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी और मैं लगातर 82 से विधायक चुनकर आते रहे हैं। प्रदेश की जनता लगातार मुझे यह काम देती आ रही है। (विघ्न)

स्पीकर सर, इस बिल के ऊपर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार किसी से इसके द्वारा अधिकार छीनने जा रही है लेकिन सर, यह तो एक मामूली सा संशोधन है जो कि इस एक्ट में पहले से उपलब्ध है। जब से यह सरकार आयी है तब से इसने हिसार यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं पर रजिस्ट्रार की नई नियुक्ति नहीं की है। चौटाला साहब ने ठीक कहा है कि ये लोग शिक्षाविद होने चाहिएं। हिसार

यूनिवर्सिटी में भी हमने जिस जे०वी० चौधरी की नियुक्ति की है वे एशिया में माने हुये साईंटिस्ट हैं। एशिया में उनका नाम है और वे पहले से ही उसमें काम भी कर रहे थे इसलिए उन्हीं को यह अवसर दिया है। इसलिए इनकी इसमें अंदेशे वाली कोई बात नहीं है। जब यह सरकार बनी थी तब भी यह अंदेशा बड़ा भारी आया था कि सरकार गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, अगर आप आपस में कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप लौबी में जाकर बात कर सकते हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : तो अध्यक्ष महोदय, उस समय इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही थी लेकिन आप जानते ही हैं कि सरकार ने गुरू जमभेश्वर विश्वविद्यालय में पहले चल रहे 11 कोर्सिज को बढ़ाकर अब 62 छोटे-बड़े कोर्सिज कर दिए हैं यानि हमने उस विश्वविद्यालय के स्तर को बढ़ाया है, उसका रुतबा बढ़ाया है, उसकी कैपेसिटी बढ़ायी है इसलिये इनका यह अंदेशा भी ठीक नहीं है कि हम इस बिल के माध्यम से किसी के अधिकार कम करने जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : फिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

श्री राम बिलास शर्मा : क्योंकि यह कायदे कानून की सरकार है और इसको हर बात समझानी पड़ती है। पहली सरकार अपना कार्य परम्पराओं से चलाती थी। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पहली सरकार ने भी अप्वायंट किये थे। इसी तरह से रोहतक और हिसार यूनिवर्सिटीज़ में भी रजिस्ट्रार थे लेकिन वे परम्पराओं से ही नियुक्त होते चले आ रहे थे। बस इतना ही फर्क है कि हम थोड़ा कायदे कानून से और सदन की सहमति से, सदन की सैंक्शन से चलना चाहते हैं। (विघ्न) हम तो 6 महीने का ही हिसाब किताब दे सकते हैं। इन 6 महीनों का हिसाब किताब हम हरियाणा की जनता को दे सकते हैं। हरियाणा की जनता ने हमको जो जिम्मेदारी दी है उसका लेखा जोखा हम इस महान सदन के माध्यम से अपने मास्टर को, अपनी जनता जनार्दन को देना चाहते हैं। इसलिए हमने उस प्रोविजन को व्यवस्थित किया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने कहा कि एग्जैक्टिव कौंसिल की पावर्ज़ को कम किया जा रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की अंतिम शक्तियां राज्यपाल महोदय में निहित होती हैं। विश्वविद्यालय के चांसलर की जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय पर होती है और वह एक जिम्मेदारी की संस्था है वह सरकार बदलने से नहीं बदलती उनके संरक्षण में सरकार भी चलती है और विश्वविद्यालय का प्रशासन भी चलता है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद भी चांसलर की जो शक्तियां हैं या जो भी वह निर्णय लेंगे वही निर्णय फाईनल समझा जाएगा। यह हमने इसमें मेंशन किया है।

श्री खुर्शीद अहमद : चांसलर की कितनी शक्तियां हैं, इसका थोड़ा सा विवरण देंगे। कहां-कहां गवर्नमैंट को वह इंडिक्ट कर सकता है और वह अपनी अथौरिटी को कहां से ड्रा करता है।

श्री राम बिलास शर्मा : ऐसा है कि चौधरी खुर्शीद अहमद जी भी जानते हैं कि बिल की क्लाज 21 में हमने अंतिम रूप से यह वाक्य लिखा है कि मान लो कहीं पर विवाद पैदा होता है तो चांसलर का निर्णय अंतिम होगा और वही माना जाएगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि चांसलर के अधिकार क्षेत्र का निर्णय भी शिक्षा मंत्री करेंगे या पहले से निर्धारित निर्णय है जिसमें स्टेट गवर्नमैंट का भी कोई दखल है या नहीं ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, चौटाला साहब ने ठीक फर्माया है। चांसलर के कार्यक्षेत्र

को निर्धारित हम नहीं करते। जब यूनिवर्सिटी बनती है अस्तित्व में आती है तभी उसके साथ यह निर्धारित हो जाता है। मैंने इस सदन को निवेदन यही किया है कि हमने चांसलर की शक्तियों में कोई परिवर्तन की तजवीज नहीं की, न हम कर सकते हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि चांसलर की शक्तियों में कोई बदल इस अधिनियम से नहीं किया गया है परन्तु चांसलर को यह शक्तियां नहीं हैं कि वह स्टेटयूट बनाए। एग्जैक्टिव कौंसिल यूनिवर्सिटी के चांसलर को डे-टू-डे गवर्नेंस नहीं कर सकती। इस बारे में मुख्य एक्ट का सैक्शन 10 (4) है जिसमें लिखा है कि-

(i) to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment and of any college or institution maintained by the University and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University;

(ii) to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with administration of finances of the University, colleges or institutions.

चांसलर की सिर्फ इंस्पैक्शन की पावर्ज हैं या यदि कोई मुद्दा उनके नोटिस में लाया जाए कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की बंगलिंग हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करने की भी पॉवर है। इस बिल के द्वारा स्टेटयूट बनाने की पावर एग्जैक्टिव कौंसिल से सरकार लेने लग रही है आज अगर उनमें कन्फ्लिक्ट हुआ तो सरकार का फैसला माना जाएगा न कि एग्जैक्टिव कौंसिल का माना जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी की स्वायतत्ता खत्म कर देगा। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी चांसलर की शक्तियों की चर्चा करके इस इशू को राउन्ड टू राउन्ड न करें और इस बारे में क्लीयरली बताएं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह बात तो ठीक है कि जो बात रणदीप जी कहलवाना चाहते हैं अगर वह बात हम न कहें तो कानून में तो दो और दो चार ही होते हैं उसमें कोई कांटछांट नहीं हो सकती। उसके अन्दर भाषा एग्जैक्ट होती है। उसको हम राजनीतिक रूप नहीं दे सकते। मैं रणदीप जी को बताना चाहता हूं कि हमने जो संशोधन किया है उसकी 21(4) धारा की आवश्यकता नहीं थी परन्तु हमने उसको कंफर्म किया है। उसमें हमने एक प्रावधान जोड़ा है कि स्टेटयूट जो बनेगी उसको चांसलर के मामले में कांसेंट देने की कोई वैलीडिटी नहीं होगी। एग्जैक्टिव कौंसिल के अधिकारों का हमने अतिक्रमण नहीं किया है। हमने उनमें कोई मेजर परिवर्तन नहीं किया है कि उस संशोधन से विश्वविद्यालय के वातावरण में कोई ज्यादा नियंत्रण होगा। यह तो छोटा सा संशोधन है यह हमने यूनिवर्सिटी की सुविधा के लिये किया है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

वाक आऊट

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : इस बिल के पास होने से इस सदन की बदनामी हो रही है इसलिये हम वाक आऊट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय विपक्ष के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आऊट कर गये।)

दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 Stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motioin was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

विधेयक पारित कर दिया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब शौपस एंड कमर्शियल एस्टैबिलशमैंटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, पहले बिल में अमैंडमैंट लाने के बारे में हमने जो कहा था सरकार हाउस में यह कमिटमैंट करती है कि जिन शौपस और कमर्शियल एस्टेब्लिशमैंट्स में दस या दस से कम रैगुलर एम्पलाइज़ होंगे उनको इस बिल के परिब्यू से बाहर रखा जाएगा। अब इस बिल को आगे डिस्कस करवा लिया जाए।

Mr. Speaker : As the Chief Minister has assured on the floor of the House that those Shops and Commercial Establishments who are employing 10 or less than 10 regular employees will be kept out of the purview of this Bill. Now the Question is -

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Labour Minister will move that the Bill be passed.

Cooperation and Labour Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill 1996 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1996

स्पीकर साहब, जो यह महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक लाया गया है, इसमें भी हमने एक छोटी सी तरमीम की है। इस बिल में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जो क्लाज़ है उसमें थोड़ा सा ऐड किया है। यह भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक की तरह का विधेयक है।

Sir, I also beg to move—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती कस्तार देवी (कलानौर, एस०सी०) : स्पीकर साहब, मुझे बड़ा दुख है और बड़ा आश्चर्य है कि शिक्षा मंत्री जी जो एक बड़े अच्छे शिक्षाविद माने जाते हैं और जो आदर्शों की और बड़े-बड़े अरमानों की दुहाई देते हैं वे इस तरह का बिल ले कर आए हैं कम से कम इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तीनों ही बिल्ज की बात कहती हूं। मुझे ये बहन कहते हैं इसलिये मुझे अपने भाई से ऐसी कतई तौर पर आशा नहीं थी कि वे ऐसे संशोधित बिल ले कर आएंगे।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप केवल महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर ही बोलें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, बहन ने कहा कि उन्हें बड़ा दुख है और उन्होंने यह बात मुस्करा कर कही है। बहन जी पहले से मोटी हो गई हैं और ये दुख में ही मोटी हो गई हैं। (हंसी)

श्रीमती करतार देवी : मैं आपकी खुशी में मोटी हो गई हूं क्योंकि मेरा भाई राम विलास शिक्षा मंत्री है। स्पीकर साहब शिक्षा मंत्री भी, मैं भी और सारा सदन इस बात को जानता है कि रोहतक महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में वहां के उपकुलपति के साथ कैसा व्यवहार किया गया था और वहां पर दूसरे क्या क्या रोल होते रहे हैं। उन सब बातों पर पर्दा डालने के लिए यह सरकार इस संशोधन के द्वारा अपनी गैर कानूनी हरकतों को और गैर लोकतान्त्रिक हरकतों को लीगलाइज करवाना चाहती है। संविधान के निर्माताओं ने बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखी थीं। लोकतन्त्र है। सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार किसी की भी हो सकती है। जो सरकार है वह जनता की प्रतिनिधि है। मुझे इसमें कोई आपति नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने यूनिवर्सिटी की मैनेजमैंट को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी की पावर को गवर्नमैंट के परव्यू से बाहर रखा था उनको स्वायतता प्रदान की गई थी और यूनिवर्सिटी की मैनेजमैंट में किसी बाहरी दखल को रोकने की कोशिश की गई थी। अमैंडमैंट कोई बुरी चीज नहीं है अगर वह उन परम्पराओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लागू की जाती है। लेकिन यह अमैंडमैंट उन परम्पराओं को चलाने के लिए नहीं है उन परम्पराओं को तोड़ने के लिए की गई है। स्पीकर साहब यह सरकार बनी इनका सम्मान किया अगर कोई सम्मान न भी करे तो उस बात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन जनता के फैसले को हम सबने माना है। रोहतक यूनिवर्सिटी के उप कुलपति के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी सब समाचार पत्रों में सरकार की खुल कर आलोचना की गई थी। मैं उस बात की प्रत्यक्षदर्शी हूं।* * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded without my permission. (Noise & Interruptions.)

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, मैं असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इसी बिल पर बोलें। जो अंडर कंसिडेशन है।

श्रीमती करतार देवी : * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह कुछ भी रिकार्ड नहीं करना है। बहन जी आप तो मिनिस्टर रही हैं। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। कृपया आप बैठ जाएं। मेरी परमिशन के बगैर जो बोला जाए वह रिकार्ड न किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप हमें बोलने के लिए समय दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब आप पहले मेरी बात सुनें (शोर) बहन जी आप तीसरी बार चुन कर आई हैं आपको पता होना चाहिए कि जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। बहन जी, आप इसको दूसरा रूप देने की कोशिश न करें। आपने अपनी जो बात कहनी है वह इस बिल से संबंधित ही कहें। Please do not go beyond the scope of the bill as I would not allow it.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इस में राजनीति छुपी हुई है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई राजनीति नहीं छुपी। आप अपनी सीट पर जाइये। (शोर)

श्रीमती करतार देवी : यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात न कहूं, तो आपकी मर्जी है। (शोर) आप जब हमारी बात नहीं सुनते तो फिर हमारा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है।

श्री राम विलास शर्मा : लगता है बहन करतार देवी को जबरदस्ती यहां पर बोलने के लिये भेजा गया है। अब ये भी जाना चाहती हैं। (शोर)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती करतार देवी : रोहतक यूनिवर्सिटी में हालात बहुत खराब किये हुये हैं। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इनको अपनी बात तो कहने दीजिए। ये कोई गलत बात नहीं कह रहीं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। कम से कम आपको यह पता तो होना चाहिए कि आपको कहां से बोलना है। आप अपनी सीट पर जाइए।

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुनिये।

Mr. Speaker : You are not speaking relevant. Please speak on the Bill which has been placed on the Table. You please do not go beyond the scope of the Bill.

बहन करतार देवी से मेरा अनुरोध है कि आप बिल पर खुल कर बात करें। आप इस बिल से बाहर कोई बात न कहें। यदि आप तैयारी के साथ नहीं आई तो बैठ जाएं। मैं किसी दूसरे मैम्बर को बोलने के लिये कह देता हूं।

श्रीमती करतार देवी : अभी कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मुझे बोलने के लिये जबरदस्ती भेजा गया है। मैं इनको बताना चाहूंगी कि मैं किसी की जबरदस्ती से नहीं बोलती। अपनी अन्तरात्मा की आवाज से बोलती हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : बहन जी आप बिल पर नहीं बोल रही हैं। जो ये बोल रही हैं, रिकार्ड न किया जाये।

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, * * * * *

13.00 बजे **श्री अध्यक्ष** : बहन करतार देवी, आप केवल बिल से संबंधित बातें ही कहें। यदि आप नहीं बोलना चाहतीं तो फिर किसी दूसरे मैम्बर को बोलने के लिये कहना पड़ेगा।

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब सरकार की कोशिश है कि इन अदायरों में हमारी मनमानी चलनी चाहिए। इसी मनमानी के तहत रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार सरकार अपने पास चाहती है। इनकी यह मनशा इस बिल से साफ जाहिर है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने भाई से कहती हूं कि वे अपनी अन्तरात्मा को टटोल कर देखें कि उनके आदर्श क्या थे और वे क्या करने जा रहे हैं। जो महान हस्तियां हमारी रही हैं कम से कम उनके आदर्शों और तस्वीरों को सामने रख कर ही कोई फैसला करें। यूनिवर्सिटी का मामला बहुत ही अहम और नाजुक है। इस देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का आज जन्म दिन भी है और हम सरकार से यूनिवर्सिटी की बेहतरी की आशा भी रखते हैं। हमें खुशी है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का विधेयक आप लाए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम सरकार की तारीफ करेंगे और उम्मीद भी है कि सरकार अच्छे काम करेगी और हमारे आदरणीय भाई राम बिलास जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि मंत्रीपने के लालच में आ कर जो इस प्रकार का कार्य वे कर रहे हैं यह उनको शोभा नहीं देता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और जो गलतियां पीछे रह गई हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूं तथा आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बिल और फिर उसके बाद एम०डी०यूनिवर्सिटी बिल तकरीबन एक जैसे ही बिल हैं। जहां तक एम०डी० यूनिवर्सिटी की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऐसी जगहें हैं जहां देश के भावी नागरिकों का निर्माण किया जाता है, उनका चरित्र निर्माण किया जाता है। इन यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर आदमी का मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का विकास किया जाता है शक्तियों का विकास करके अपने देश और प्रदेश का आर्थिक विकास किया जाता है। ऐसी संस्थाओं की सेवाएं तभी सही रूप से सही और सत्य हो सकती हैं जब उन संस्थाओं में ऑटोनोमी की प्रक्रिया बनाए रखी जाए। यूनिवर्सिटी को सही अर्थों में ऑटोनोमस बॉडी बनाया भी इसी लिए गया है ताकि इन में दूसरी किसी संस्था का या सरकार का इन्टरफियरैंस न रहे वरना यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनोमस बॉडी बनाने की जरूरत ही क्या थी इसको भी सरकार का एक महकमा बना दिया जाता। अगर वर्तमान बिल लागू हुआ तो यूनिवर्सिटी को भी सरकार का ही एक महकमा बना दिया जाएगा। अगर ऐसा किया गया होता तो सरकार इसे सुचारू रूप से चला रही होती। इसको ऑटोनोमस बॉडी इसीलिए बनाया गया है ताकि सरकार का इसमें मिनिमम इन्टरफियरैंस हो। यह जो बिल लाया गया है इसके अन्दर सैक्शन-9 सी का सबस्टीच्यूशन किया गया है। एक्ट के सैक्शन 15 के सब-सैक्शन 2 में क्या कोई रीज़नेबल आदमी इस को मान सकता है। प्रिंसिपल एक्ट में सैक्शन 15 के सब-सैक्शन 2 और 4 में जो एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के साथ गवर्नमैंट शब्द को इनकारपोरेट किया गया है, इस बिल से एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल और यूनिवर्सिटी की अथोरिटी के बीच सरकार की इन्टरफियरैंस के सिवाय और कोई रिफलैक्शन नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल यह कहना चाहूंगा कि इस बिल से विश्वविद्यालय की जो आवश्यक स्वायत्ता होती है सरकार की इन्टरफियरैंस से निश्चित रूप से उस पर एडवर्स अफैक्ट पड़ेगा। अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने एक और बात भी कही थी कि उनकी सरकार कायदे कानून में विश्वास रखने वाली सरकार है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि पहले भी यह सरकार रही है और चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय शिक्षा के फील्ड के अन्दर अध्यापकों को डिफैरैंट डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफर करने की पालिसी बनाई गई थी। (विघ्न)

Mr. Speaker : Dr. Verender Pal Ji, please take your seat.

(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार मानेगी कि यह बिल इन्होंने गलत पेश किया है और जिसकी भरपाई यह सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास न किया जाए और यही मेरी इनसे प्रार्थना है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का एक मैम्बर बोल चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, इन्होंने वाक-आउट करना है। (शोर) इस महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के बिल पर हमारी बहन करतार देवी जी ने बात कही और भाई बिजेन्द्र सिंह जी ने भी कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी आप एक मिनट बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब एक मिनट आप भी बैठें। कैप्टन साहब आप 6 महीने पहले ट्रेज़री बैंचिज़ पर बैठे थे आप उन बातों को याद करें। जितना टाईम हमने लिबरली दिया है उतना टाईम आपकी गवर्नमैंट के टाईम में दिया ही नहीं गया

है। आपकी सरकार ने पांच साल में एडजर्नमैंट मोशन नाम की कोई चीज ही नहीं आने दी। आप लोगों ने तो बोलने ही नहीं दिया था। आज आप फिर भी शोर मचाते हैं। आप बैठ जाएं।

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir you are the Speaker. I am submitting that I should be allowed to speak. What is the problem of speaking here ? (Noise & Interruptions).

श्री अध्यक्ष : हम आपके अधिकारों का पूरा आदर करते हैं। आपके मैम्बर को बोलने का पूरा टाईम दिया है। यह जरूरी नहीं है कि आप सबको बोलने का समय दिया जाए।

I have already given you the time. Please take your seat.

(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, आपने चौधरी भजन लाल जी को दो बार बोलने को कहा लेकिन वे नहीं बोले। अब बहन जी अपनी अन्तरात्मा के खिलाफ काम कर रही हैं।

(इस समय बहुत से मैम्बर्ज़ बोलने के लिये खड़े हो गये)

वाक-आउटस

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमें इस बिल पर न बोलने देने के प्रोटैस्ट में हम वाक-आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित मैम्बर्ज़ सदन से वाक-आउट कर गये) (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का समय दें। (शोर) आज तक यूनिवर्सिटी के अन्दर जो कुछ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब आप भी एक मिनट बैठ जाएं। आप मेरी बात सुनें। (विघ्न) डॉ० साहब आप पहले भी बोले हैं लेकिन फिर भी बोलना चाहते हैं। वह समय चला गया जब समय की कमी होती थी। आप जितना समय चाहेंगे उससे 10 मिनट ज्यादा बोलने को दूंगा। लेकिन आप बिल के स्कोप से बाहर न जाएं, बिल पर ही बोलें।

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, सुबह तो विपक्ष वाले एक्सरसाइज नहीं करते और यहां दिन में हाउस में आकर एक्सरसाइज करते रहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनसे इस बारे में कहें कि ये यहां पर हाउस का समय बर्बाद न करें।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : सर, मैं अपनी बात डेढ़ मिनट में कहकर खत्म करता हूं। आज यह जो दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है तो यह पोलिटिकल इंटरफियरैंस के कारण गिरता जा रहा है और आज जो यह अमैंडमैंट सरकार लाने की कोशिश कर रही है तो इससे भी पोलिटिकल इंटरफियरैंस का ही आभास मिलता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले ले क्योंकि यह बिल गलत है। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इस समय समता पार्टी के एक मात्र उपस्थित सदस्य डॉ० वीरेन्द्रपाल अहलावत सदन से वाक-आउट कर गए)

दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, वैसे तो आपने कल एक इतिहास का निर्माण किया है। हम बीस साल से इस महान सदन के सदस्य हैं और भी कई साथी इस सदन में एक बार से ज्यादा चुनाव जीतकर आए हैं परन्तु हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि चेयर की तरफ से विपक्ष के नेता पर, विपक्ष के भाईयों पर यह फैसला छोड़ा गया हो कि आप ही अपने एडजर्नमैंट मोशन पर फैसला लें कि आप इस मोशन के तहत चर्चा करना चाहते हैं या किसी और तरह से चर्चा करना चाहते हैं। आपने उनका ही फैसला माना और उनके फैसले के अनुसार ही चर्चा करवायी। परन्तु उनकी हरियाणा के लोगों के हितों में कितनी रूचि है यह आपने उनके दो दिन के व्यवहार से देख लिया होगा। बहिन करतार देवी और दूसरे साथी भी कह रहे थे कि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में हम कोई राजनैतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं जबकि यह बिल्कुल उनका एक अंदेशा है। मैंने तर्क के आधार पर इस महान सदन में बताया है कि जैसे पहले गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि सरकार इस यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी लेकिन हमने उस यूनिवर्सिटी के रुतबे को बढ़ाया ही है जिसको बहिन करतार देवी ने भी माना है। तो यह बात इनकी कंट्राडिक्टरी है कि हम इस विधेयक के माध्यम से वहां कोई राजनैतिक हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण सही रहे, शांति का वातावरण रहे तो इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं जरूरी हैं। रोहतक विश्वविद्यालय में भी जो दुखद बातें हुई हैं, सरकार को उसकी चिन्ता है और वह आज भी इनको लेकर चिंतित है। जिन लोगों ने वहां उप कुलपति के घर पर यह दुखद बातें कीं, उन सभी को लगभग गिरफ्तार किया जा चुका है और वहां पर कार्यवाही चल रही है इसलिए केवल सरकार पर छींटाकसी कर देना ठीक बात नहीं है। सरकार की कुछ बातों का समर्थन भी इनको करना चाहिए। इसलिए सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को पारित कर दिया जाए क्योंकि यहां पर आपने सभी को इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया लेकिन कोई भी सदस्य तर्कपूर्ण बात नहीं कर सका क्योंकि हमने तो एक छोटी सी तरमीम की है छोटा सा संशोधन किया है। हमने तो इसमें केवल एक दो वाक्यों में ही संशोधन किया है इसलिए इसको पारित कर दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री बंसीलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं जो रामबिलास जी कहना भूल गए कि कोई भी सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है जिसने रजिस्ट्रार आई०ए०एस०औफिसर चंडीगढ़ से न भेजा हो। हम तो इसको रैगुलेराईज ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Hose stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

*13.18 (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 20th November, 1996)

(2) 56

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

28449- H.V.S.- H.G.P. Chd;